रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 452] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 1983/अग्रहायण 1, 1905
No. 452] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 1983/AGRAHAYANA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1983

सा० का० नि० 858(अ) :—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की तारीख को गुजरात राज्य में यथा प्रवृत्त मुम्बई सिंचाई अधिनियम, 1879 (1879 का मुम्बई अधिनियम संख्या 7) का निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. अधिनियम में सर्वत्र जब तक कि अन्यथा निदेशित न किया जाए, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासन" शब्द रखा जाएगा और किसी ऐसे वाक्यांश में जिसमें "राज्य सरकार" शब्द आते हैं, ऐसे पारिणामिक परिवर्तन किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमानुसार अपेक्षित हों,

2. धारा 1 में,—

(क) "गुजरात राज्य के मुम्बई क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) धारा 1 के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

3. धारा 3 में,—

(1) खण्ड (1) को खण्ड (1क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (1क) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड (1) के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(2) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1क) में,—

(क) खण्ड (क), में, "कोई सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(ख) खण्ड (ङ) में, पहली बार आने वाले "सरकार" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे और "कोई सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा ;

(3) उप धारा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(4) उप धारा (3) में "कोई सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(5) उप धारा (4) में "कोई सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा,

(6) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(10)" भू-राजस्व विनियम" से दादरा और नागर हवेली राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 अभिप्रेत है।

4. धारा 4 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण :— इस धारा में "सरकारी सेवक" "सरकारी अधिकारी" पद का दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में नियोजित कोई व्यक्ति या अधिकारी अभिप्रेत है।"

5. धारा 5 में दूसरी बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखा जाएगा।

6. धारा 20ग के खण्ड (ग) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रख जाएंगे।

7. धारा 20ङ की उपधारा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रख जाएंगे।

8. धारा 25 में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रख जाएंगे।

9. धारा 25क की उपधारा (2) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर जहां जहाँ वे आते हैं, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 31 में परन्तुक के खण्ड (घ) के उपखण्ड (1) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

11. धारा 37 में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

12. धारा 42 में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

13. धारा 44 में, दूसरी बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

14. धारा 48 और धारा 48क में "दो सौ गज" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, एक सौ पिच्चासी मीटर" शब्द रखे जाएंगे

15. धारा 51 में "भू-राजस्व संहिता" शब्दों के स्थान पर "भू-राजस्व विनियम" शब्द रखे जाएंगे।

16. धारा 53 की उपधारा (2) में "भू-राजस्व संहिता" शब्दों के स्थान पर "भू-राजस्व विनियम" शब्द रखे जाएंगे।

17. धारा 56 में द्वितीय बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

18. धारा 56क के परन्तुक में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

19. धारा 56ख में दूसरी बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

20. धारा 57 में,—

(क) उपधारा (2) में "भू-राजस्व संहिता की धारा 150" शब्दों और अंकों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, "भू-राजस्व विनियम की धारा 167" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (4) में,—

(1) खण्ड (क) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे,

(2) खण्ड (ख) में "भू-राजस्व संहिता" शब्दों के स्थान पर "भू-राजस्व विनियम" शब्द रखे जाएंगे।

21. धारा 70 की उपधारा (2) और (3) का लोप किया जाएगा।

22. धारा 73 में,—

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे और,

(2) उपधारा (2) में "तालुका के मामलतदार के कार्यालय में" शब्दों का लोप किया जाएगा।

23. धारा 76 की उपधारा (1) में "महलकारी" शब्दों के स्थान पर "मामलतदार" शब्द रख जाएंगे।

24. धारा 78 में "महलकारी" शब्द के स्थान पर "मामलतदार" शब्द रखा जाएगा।

25. धारा 80 में पहली और तीसरी बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रख जाएंगे।

IndiaCode

26. धारा 21 में "तालुका के" शब्दों के स्थान पर "और पाटेलाद कार्यालय" शब्द रखे जाएंगे ।

27. धारा 82 के परन्तुक में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर यथास्थिति, "प्रशासक या केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

28. धारा 83 में—

(i) उपधारा (1) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा (2) में पहली बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे ।

29. धारा 85 में "भू राजस्व संहिता" शब्दों के स्थान पर "भू-राजस्व विनियम" शब्द रखे जाएंगे ।

30. धारा 86 में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

31. धारा 87 में "पटेल" शब्द के स्थान पर "सरपंच" शब्द रखे जाएंगे ।

32. धारा 89 की उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

33. धारा 90 और 91 का लोप किया जाएगा ।

34. धारा 93 का लोप किया जाएगा ।

35. धारा 94 में,—

(i) "मुम्बई भू-राजस्व संहिता" शब्दों के स्थान पर "भू-राजस्व विनियम" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) "उक्त संहिता" शब्दों के स्थान पर "उक्त विनियम" शब्द रखे जाएंगे, और

(iii) "मुम्बई सिंचाई (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1976" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित यह अधिनियम" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

36. धारा 96 में "मुम्बई सिंचाई (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1976" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित यह अधिनियम" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

37. धारा 101 की उपधारा (3) और (4) और अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

38. अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

उपाबंध

मुम्बई सिंचाई अधिनियम, 1879

(1879 का मुम्बई अधिनियम संख्यांक 7)

(गुजरात राज्य में यथाप्रवृत और दादर तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर यथा विस्तारित) ।

उद्देशिका :—मुम्बई प्रेसीडेन्सी में सिंचाई का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

मुम्बई प्रेसीडेन्सी में नहरों के सन्निर्माण, रखरखाव और विनियमन के लिए तथा उनसे मुम्बई प्रेसीडेन्सी को जल के प्रदाय के लिए और इस प्रकार प्रदाय किए गए जल के रेटों के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करना आवश्यक है, अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम :— 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुम्बई सिंचाई अधिनियम, 1979 है ।

स्थानीय विस्तार :—इसका विस्तार दादरा और नगर हवेली के सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र पर है ।

2. लोप कर दिया गया ।

निर्वचन खंड :— 3. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो—,

(1) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए, नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है;

(1क) "नहर" के अन्तर्गत है,—

(क) सभी नहरें, जल मार्ग, पाइप और जलाशय, जिनका सन्निर्माण, रखरखाव या नियंत्रण जल के प्रदाय या भण्डारण के लिए प्रशासक करता है

(ख) सभी संकर्म, तटबंध, संरचनाएं और प्रदाय तथा ऐसी नहरों, जल मार्गों, पाइपों या जलाशयों से सबद्ध निकास जल मार्ग और ऐसी नहरें, जल मार्ग, पाइपों या जलाशयों के सन्निर्माण या रख-रखाव को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए सन्निर्मित सभी सड़कें

(ग) इसमें इसके आगे यथा परिभाषित, सभी जल सरणियां, जल निकास संकर्म और बाढ़ तटबंध;

(घ) किसी नदी, जलधारा, झील, प्राकृतिक जल संग्रह या प्राकृतिक जल मार्ग का ऐसा कोई भाग जिसे प्रशासक धारा 5 के उपबंधों को लागू करे और या जिसके जल का प्रयोग या उपयोग इस अधिनियम के पारित किए जाने से पूर्व, किसी विद्यमान नहर के प्रयोजन के लिए किया गया है ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार की सभी भूमि, जो इसमें इसके पश्चात् यथा परिभाषित किसी नहर के किनारे पर अवस्थित है और जिसका विनियोजन ऐसी नहर के प्रयोजन के लिए प्रशासक के आदेशों के अधीन किया गया है/की गई है।

(2) जल सरणी से ऐसा कोई जल मार्ग या पाइप अभिप्रेत है जिसका रखरखाव केंद्रीय सरकार के खर्च पर नहीं होता है और जिसे जल का प्रदाय किसी नहर से किया जाता है तथा इसके अन्तर्गत, ऐसे किसी जल मार्ग या पाइप से सम्बद्ध सभी आनुषंगिक संकर्म भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे स्लूस या निकास नहीं हैं जिनसे होकर किसी नहर से जल का प्रदाय ऐसे जल मार्ग या पाइप को किया जाता है।

(3) "जल निकास संकर्म" से ऐसा कोई संकर्म अभिप्रेत है जो देश के जल निकास के प्रयोजन के लिए प्रशासक द्वारा सिंचाई या उद्धार पद्धति के संबंध में, बनाया गया है या विकसित किया गया है और जो चाहे धारा 15 के उपबंधों के अधीन है या नहीं तथा इसके अन्तर्गत किसी नहर, बांध, वीयर, तटबंध, स्लूस, दीवार से निकास जल मार्ग और उनसे संबद्ध अन्य संकर्म हैं किन्तु इसके अन्तर्गत शहरों से मल के हटाए जाने के लिए संकर्म नहीं हैं;

(4) "बाढ़ तटबंध" से ऐसा कोई तटबंध अभिप्रेत है जो, जल प्लावन से भूमियों के संरक्षण के लिए किसी सिंचाई या उद्धार संकर्म पद्धति के संबंध में प्रशासक द्वारा सन्निर्मित या अनुरक्षित है और जिसे ऐसी किसी पद्धति के संबंध में अनुरक्षित रखने की घोषणा प्रशासक कर सकता है तथा इसके अन्तर्गत ऐसे तटबंधों से संबद्ध सभी दीवारें, स्पर, बांध और अन्य संरक्षक संकर्म हैं;

(4क) "बांधरा" से ऐसी कोई स्थायी या अन्य संरचना अभिप्रेत है जो किसी नदी, जलधारा, झील या जल के प्राकृतिक संग्रह के जल को परिबद्ध करने या उसके दिशा परिवर्तन के प्रयोजन के लिए सन्निर्मित या संरक्षित किया गया है और इसके अन्तर्गत कोई वीयर, स्लूस, शीर्ष मितियां दीवारें या कोई अन्य ऐसे संकर्म हैं जो ऐसे बांधरा से सम्बद्ध हैं;

(5) "कलक्टर" के अन्तर्गत ऐसे कोई अधिकारी है जिसे प्रशासक ने इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर की सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए नियुक्त है;

(6) "नहर-अधिकारी" से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसे धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया है या जिसमें उक्त धारा के अधीन शक्तियां विनिहित की गई हैं;

(6क) "नहर सिंचन भूमि" से ऐसी भूमियां अभिप्रेत हैं जिन्हें नहर सिंचित भूमि होने के नाते नहर से सींचा जाता है या सींचा जा सकता है और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि भी हैं जो धारा 48 के अर्थान्तर्गत सींची जाती है या सींची गई समझी जाती हैं;

(7) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति है जिसका किसी विनिर्दिष्ट वस्तु के स्वामित्व में संयुक्त हित है; और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी स्वामी से सम्बद्ध सभी अधिकार और बाध्यताएं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से संयुक्ततः और पृथक्तः सम्बद्ध होंगी जिसका स्वामित्व में ऐसा संयुक्त हित है;

(8) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(9) "भूमि अर्जन अधिनियम" से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) अभिप्रेत है;

(10) "भू-राजस्व विनियम" से दादरा और नागर हवेली राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 (1879 का मुम्बई सं० 5) अभिप्रेत है।

4. नहर अधिकारियों की नियुक्ति :—प्रशासक या प्रशासक द्वारा समय-समय पर पारित ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, कोई सरकारी सेवक जिसे प्रशासक इस निमित्त सशक्त करें :—

(क) ऐसे पदाभिधान वाले ऐसे अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन क्रमशः उन्हें ऐसी शक्तियां और कर्तव्य समनुदिष्ट कर सकेगा जो प्रशासक या ऐसा अधिकारी ठीक समझे;

(ख) किसी भी विभाग के किसी भी सरकारी अधिकारी में, उसकी व्यक्तिगत या पदीय हैसियत में या किसी अन्य व्यक्ति में ऐसी शक्तियां विनिहित कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगा जो प्रशासक या ऐसा अधिकारी ठीक समझे;

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों या कर्तव्यों के किए गए किसी भी समनुदेशन या विनिधान को उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने वे किए हैं, किसी भी समय रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :—इस धारा में "सरकारी सेवक" या "सरकारी अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति या अधिकारी अभिप्रेत है जिसे दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन में नियोजित किया गया है।

भाग 2

नहरों का सन्निर्माण और रखरखाव

नहरों के प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग

5. जब जल प्रदाय का उपयोग नहरों के प्रयोजन के लिए किया जाना है तब अधिसूचना :—जब कभी प्रशासक को यह समीचीन प्रतीत हो कि किसी प्राकृतिक सरणी में बहने वाली किसी नदी या जलधारा का जल या किसी झील या किसी अन्य प्राकृतिक स्थिर जल संग्रह के

(26)

का उपयोग या प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी परियोजना नहर के लिए किया जाना चाहिए तो प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकता है कि उक्त जल ऐसे किसी दिन के पश्चात् जो उक्त अधिनियम में नामित किया जाए तथा जो अधिसूचना की तारीख से तीन माह से पूर्व का नहीं होगा, इस प्रकार उपयोजित या प्रयुक्त किया जाएगा ।

भूमि आदि पर प्रवेश की शक्तियां

6. जल प्रदाय के उपयोग के प्रयोजन के लिए नहर अधिकारी की शक्तियां .—इस प्रकार नामित दिन के पश्चात् किसी भी समय कोई भी नहर अधिकारी, जिसे इस निमित्त सम्यक्तः सशक्त किया गया है, उक्त जल के ऐसे उपयोग या प्रयोग के लिए किसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा, कोई अवरोध हटा सकेगा, किसी जल मार्ग को बन्द कर सकेगा और कोई ऐसे अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा जो उक्त जल के उपयोग या प्रयोग के लिए आवश्यक है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे अधीनस्थ तथा अन्य व्यक्ति अपने साथ ले जा सकेगा या नियोजित अथवा तैनात कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे ।

7. जांच के लिए प्रवेश .—जब कभी किसी परियोजना, नहर के संबंध में या किसी विद्यमान नहर के रखरखाव के संबंध में कोई जांच या परीक्षा करना आवश्यक है तो इस निमित्त सम्यक्तः सशक्त नहर अधिकारी तथा ऐसे किसी नहर अधिकारी के साधारण या विशेष आदेश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति,—

(क) ऐसी किसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा जो उक्त प्रयोजन के लिए वह ठीक समझे; और

(ख) ऐसी भूमि के संबंध में ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो वह कर सकता है किन्तु यह तब जब प्रशासक ने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अधीन इस प्रभाव की कोई अधिसूचना जारी कर दी हो कि उस परिक्षेत्र भूमि की आवश्यकता किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होनी संभव है; और

(ग) जल प्रभावी को स्थापित कर सकेगा और उन्हें बनाए रख सकेगा तथा ऐसे सभी अन्य कार्य कर सकेगा जो ऐसी जांच या परीक्षा करने के लिए आवश्यक हैं।

8. जल प्रदाय के निरीक्षण और विनियमन की शक्ति :—

इस बाबत सम्यक्तः सशक्त प्रत्यक नहर अधिकारी और ऐसे किसी नहर अधिकारी के साधारण या विशेष आदेश के अधीन कार्यरत कोई व्यक्ति, प्रदाय किए गए जल के प्रयोग के निरीक्षण या विनियमन के प्रयोजन के लिए या उससे सिंचित या जल रेट से प्रभार्य किसी भूमि की नाप करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे सभी अन्य कार्य करने के लिए जो उस नहर के, जिससे ऐसे जल का प्रदाय किया जाता है, उचित विनियमन और प्रबंध के लिए आवश्यक है, ऐसी किसी भूमि, भवन या जल सरणी में जिसके संबंध में कोई जल रेट प्रभार्य है, प्रवेश कर सकेगा ।

9. मरम्मत करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रवेश करने की शक्ति :—यदि नहर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की आशंका है या वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो इस निमित्त सम्यक्तः सशक्त कोई नहर अधिकारी और ऐसे किसी नहर अधिकारी के साधारण या विशेष आदेश के अधीन कार्यरत कोई व्यक्ति, ऐसी नहर के पार्श्वस्थ किसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और वहां से वृक्षों और अन्य सामग्री को हटा सकेगा तथा ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए या घटित दुर्घटना से हुए किसी नुकसान की मरम्मत करने के प्रयोजन से लिए आवश्यक हैं ।

10. भवनों आदि के अधिभोगियों को सूचना :—अन्तिम पूर्वगामी तीन धाराओं में से किसी धारा के उपबंधों के अधीन यदि कोई नहर अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे किसी भवन या किसी निवासगृह से संलग्न किसी आंगन या उद्यान में, जिसे नहर से जल का प्रदाय नहीं किया जाता है और जो किसी बाढ़ तटबंध के पार्श्वस्थ नहीं है, प्रवेश करना चाहता है तो वह ऐसे भवन, आंगन या उद्यान के अधिभोगी को ऐसी युक्तियुक्त पूर्व सूचना देगा जो मामले की अत्यावश्यकता की दृष्टि से अनुज्ञेय हो ।

नहर पार करना

11. नहर पार करने के लिए साधनों का उपबंध किया जाना और जल-निकास को होने वाली बाधा को दूर करना :—नहर पार करने के लिए उपयुक्त साधनों का उपबंध ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जो प्रशासक पार्श्वस्थ भूमि के निवासियों की युक्तियुक्त सुविधा के लिए आवश्यक समझे और इस उद्देश्य से कि पार्श्वस्थ भूमि के जल-निकास को किसी नहर से कोई बाधा न पहुंचे, पुलों, पुलियों या अन्य संकर्मों का सन्निर्माण किया जाएगा ।

जल निकास प्रणाली को होने वाली बाधाओं को हटाना

12. प्रशासनिक कतिपय परिसीमाओं के भीतर, नदियों आदि को होने वाली बाधा के निर्माण को प्रतिषिद्ध कर सकेगा : —जब प्रशासक को यह प्रतीत हो कि किसी नदी, जलधारा या प्राकृतिक जल निकास प्रणाली को बाधित करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक सुविधा या किसी नहर अथवा किसी भूमि को, जिसकी सिंचाई किसी नहर से होती है, कोई क्षति पहुंची है या पहुंच सकती है तो प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते, ऐसी अधिसूचना में परिनिश्चित परिसीमाओं के भीतर, ऐसी किसी बांधा के निर्माण को प्रतिषिद्ध कर सकता है या, ऐसी परिसीमाओं के भीतर आदेश दे सकता है कि ऐसी बाधा हटा दी जाए या उसमें

कोई उपान्तर कर दिया जाए तब उक्त नदी, जलधारा या प्राकृतिक जलनिकास प्रणाली के उतने भागों को, जो ऐसी परिसीमाओं के भीतर हैं, धारा 3 में परिभाषित रूप में जलनिकास संकर्म अभिनिर्धारित किया जाएगा ।

13. बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को नहर अधिकारी द्वारा आदेश :—इस निमित्त सम्यक्तः सशक्त कोई नहर अधिकारी, ऐसे प्रकाशन के पश्चात, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसी बाधा उत्पन्न कर रहा है या जिसका ऐसी बाधा पर नियंत्रण है, आदेश जारी करके उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में नियत समय के भीतर, ऐसी बाधा को हटा दे या उपान्तरित कर दे ।

14. जल निकास संकर्म के आवश्यक हो जाने पर प्रशासक द्वारा स्कीम का निष्पादित कराया जाना :—यदि इस प्रकार नियत समय के भीतर ऐसे व्यक्ति आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो नहर अधिकारी बाधा को हटवा सकेगा या उपान्तरित करवा सकेगा; और यदि वह व्यक्ति, जिसे आदेश जारी किया गया था, आदिष्ट किए जाने पर ऐसे हटाए जाने या उपान्तरण का व्यय संदत्त नहीं करता है तो ऐसा व्यय कलक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में, वसूलनीय होगा ।

जल निकास संकर्मों का सन्निर्माण

15. जल निकास संकर्म के आवश्यक हो जाने पर प्रशासक द्वारा स्कीम का निष्पादित कराया जाना :—जब भी प्रशासक को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य या किसी भूमि पर उचित रूप में कृषि करने या उसकी सिंचाई के लिए कोई जल निकास प्रणाली आवश्यक है या किसी भूमि के लिए बाढ़ से या अन्य जल-संचय से या किसी नदी के कटाव से संरक्षण अपेक्षित है तो प्रशासक ऐसे कार्य के लिए कोई स्कीम तैयार कराके उसका निष्पादन करा सकेगा । स्कीम तैयार करके उसे निष्पादित करने के लिए प्रशासक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, उस स्कीम के संबंध में धारा 7, 8 और 9 द्वारा नहर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और धारा 10 और 30 द्वारा नहर अधिकारी पर अधिरोपित दायित्वों के लिए दायी होगा ।

भाग 3

जल सारणी

जल सारणी सन्निर्मित करने के बारे में बाध्यताएं

15क जल सारणी सन्निर्मित करने की बाबत भूमि धारक की बाध्यताएं :—प्रत्येक ऐसी भूमि के, जिसकी किसी नहर से सिंचाई हो सकती है, धारक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नहर से अपनी भूमि तक जल ले जाने के लिए या तो स्वयं या अन्य भूमियों के, जिनकी नहर से सिंचाई हो सकती है, धारकों के साथ संयुक्ततः, विहित रीति में एक जल सारणी का सन्निर्माण करे ।

16. प्राइवेट व्यवस्था द्वारा नई जल सरणी सन्निर्माण :—कोई भी व्यक्ति, ऐसी अनुज्ञा देने के लिए सम्यक्तः सशक्त नहर अधिकारी की अनुज्ञा से तथा उस भूमि के धारक की, जिससे ऐसा सन्निर्माण करने की अपेक्षा की गई है, सम्पत्ति से, कोई नई जल सरणी सन्निर्मित कर सकेगा ।

17. नहर अधिकारी द्वारा नई जल सरणी सन्निर्मित किए जाने के लिए आवेदन :—यदि कोई व्यक्ति नई जल सरणी सन्निर्मित करना चाहता है किन्तु वह भूमि के धारक के साथ, जिससे ऐसा सन्निर्माण करने की अपेक्षा की गई है, प्राइवेट व्यवस्था के अधीन सन्निर्माण करने में असमर्थ या अनिच्छुक है तो वह उस नहर अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसे ऐसे आवेदन प्राप्त करने के लिए सम्यक्तः सशक्त किया गया है, और उस आवेदन में यह कथन कर सकेगा कि वह :—

(1) संबंधित भूमि अर्जित करने और ऐसी जल सरणी सन्निर्मित करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक व्यय करने के लिए तैयार है ;

(2) चाहता है कि उक्त नहर अधिकारी उसकी ओर से उसके खर्च पर, ऐसी जल सरणी के सन्निर्माण के लिए सभी आवश्यक कार्य करे ।

18. उस दशा में प्रक्रिया जब नहर अधिकारी जल सरणी का सन्निर्माण समीचीन समझे :—यदि नहर अधिकारी ऐसी जल सरणी का सन्निर्माण समीचीन समझता है तो वह आवेदक से मांग करेगा कि वह व्यय के ऐसे किसी भाग का निक्षेप कर दे जो ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे तथा ऐसा निक्षेप कर दिए जाने के पश्चात् नहर अधिकारी उक्त सरणी के लिए मार्ग रेखा निर्धारण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान की बाबत जांच कराएगा और उस भूमि को चिन्हांकित करेगा जो उसकी राय में ऐसी जल सरणी के सन्निर्माण के लिए प्रयोग में ली जानी आवश्यक है और ऐसे प्रत्येक ग्राम में जिसमें से होकर ऐसी जल सरणी निकाले जाने का प्रस्ताव है, इस बाबत एक अधिसूचना प्रकाशित करेगा कि उस ग्राम में की कितनी भूमि इस कार्य के लिए निश्चित की गई है और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति ऐसे प्रत्येक जिले के कलक्टर को भेजेगा जिसमें ऐसी भूमि अवस्थित है और कलक्टर अधिसूचना की ऐसी प्रति को ऐसी भूमि पर प्रकाशित करेगा ।

संयुक्त स्वामित्व की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन :—उक्त अधिसूचना के द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति से जो ऐसी जल सरणी के स्वामित्व में सम्मिलित होना चाहता है, यह मांग भी करेगा कि ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर नहर अधिकारी को इस संबंध में अपना आवेदन करे ।

यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवेदक खर्च में अपने भाग के लिए दायी होगा :—यदि ऐसा कोई आवेदन दिया जाता है और उसका आवेदन स्वीकार कर

IndiaCode

किया जाता है तो वह ऐसी जल सरणी के सन्निर्माण में और उसके लिए भूमि अर्जित करने के खर्च में अपने अंश के लिए दायी होगा और जल सरणी के सन्निर्मित हो जाने पर वह उसके स्वामियों में से एक होगा ।

19. कलक्टर द्वारा भूमि का अर्जन :—ऐसी अधिसूचना के प्राप्त होने पर कलक्टर भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी भूमि के अर्जन के लिए उसी प्रकार कार्रवाई करेगा मानो प्रशासक ने उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन ऐसी भूमि के अर्जन के लिए कोई घोषणा कर दी हो और मानो प्रशासक ने तदुपरि कलक्टर को निदेश दिया हो कि वह उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन ऐसी भूमि के अर्जन के लिए आदेश ग्रहण करे तथा यदि आवश्यक हो तो, मानो प्रशासक ने उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन संक्षिप्ततः कब्जा किए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए हों ।

20. जल सरणी के सन्निर्माण के पश्चात् प्रक्रिया :— भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेने के पश्चात् नहर अधिकारी अपेक्षित जल सरणी का सन्निर्माण करेगा और सन्निर्माण पूर्ण हो जाने पर स्वामी को ऐसे पूर्ण हो जाने की और ऐसी किसी रकम के बारे में भी सूचना देगा जो भूमि के अर्जन के खर्च के संबंध में तथा ऐसी जल सरणी के सन्निर्माण के संबंध में उसके द्वारा देय है । ऐसी सूचना दे दी जाने पर ऐसी राशि स्वामी से नहर अधिकारी को शोध्य हो जाएगी उपगत सभी व्ययों के पूर्णतः संदाय कर दिए जाने पर नहर अधिकारी ऐसी जल सरणी का कब्जा ऐसे स्वामी को सौंप देगा ।

जल सरणियों के सन्निर्माण के लिए स्कीम

20क. जल सरणियों के सन्निर्माण के लिए स्कीम (1) यदि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिनमें भूमि नहर से सींची जा सकती है, प्रशासक द्वारा इस निमित्त विशिष्टतः सशक्त नहर अधिकारी (जिसे इसमें इसके आगे "प्राधिकृत नहर अधिकारी" कहा गया है) की यह राय है कि जल सरणियों के अभाव में ऐसी भूमियों की सिंचाई संभव नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है या नहीं हो पाएगी और सार्वजनिक हित में ऐसे क्षेत्र में जल सरणियों के सन्निर्माण के लिए उपबंध करने के लिए किसी स्कीम का तैयार किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसे क्षेत्र के लिए एक प्रारूप स्कीम तैयार करेगा ।

(2) ऐसी प्रारूप स्कीम में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(1) स्कीम का उद्देश्य ;

(2) वह क्षेत्र जिसे स्कीम लागू होगी ;

(3) प्रस्तावित जल सरणी और उसका सबसे अधिक उपयुक्त मार्ग रेखा निर्धारण ;

(4) वह क्षेत्र जिसकी आवश्यकता प्रस्तावित जल सरणी के सन्निर्माण के लिए हो सकती है और ऐसे क्षेत्र को उपदर्शित करने वाला रेखांक ;

(5) ऐसी प्रत्येक भूमि का जिसे जल सरणी से लाभ होगा, सर्वेक्षण संख्यांक और क्षेत्रफल तथा ऐसी भूमियों के धारकों के नाम ;

(6) वह अवधि जिसके भीतर मद (5) में उल्लिखित भूमि का प्रत्येक धारक, या तो स्वयं या अन्य धारकों के साथ संयुक्ततः, नहर से अपनी भूमि तक पानी लाए जाने के लिए जल सरणी सन्निर्मित करेगा ;

(7) जल सरणी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली भूमि के, यदि कोई है, अर्जन का अनुमानित खर्च ;

(8) यदि जल सरणी के सन्निर्माण के लिए किसी भूमि का धारक सामने नहीं आता है तो जल सरणी के सन्निर्माण का अनुमानित खर्च (इसके अन्तर्गत भूमि के अर्जन का खर्च, यदि कोई है भी है) ;

(9) जल सरणी के सन्निर्माण की बाबत भूमि के प्रत्येक धारक के दायित्व की सीमा और यदि धारक उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन इस बाबत कोई सूचना नहीं देता है कि वह ऐसा करने के लिए रजामंद है तो जल सरणी के सन्निर्माण के खर्च का संदाय करने के लिए भूमि के ऐसे धारक के दायित्व की सीमा ;

(10) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो नियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(3) प्राधिकृत नहर अधिकारी उस भूमि को भी निश्चित करेगा जो जल सरणी के सन्निर्माण के लिए उपयोग में लाई जानी है ।

(4) प्राधिकृत नहर अधिकारी ऐसे प्रत्येक ग्राम में, जिससे होकर जल सरणी को निकालने का प्रस्ताव है, एक प्रारूप स्कीम विहित रीति में प्रकाशित करेगा और साथ ही एक सूचना देकर ऐसे सभी भूमि के धारकों और अन्य व्यक्तियों से, जो ऐसी स्कीम से प्रभावित होते हैं, अपेक्षा करेगा कि वे प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपने सुझाव या आक्षेप, यदि कोई हों, लिखित रूप में ऐसे प्राधिकृत नहर अधिकारी को पेश करें ।

(5) उपधारा (4) के अधीन सूचना की अवधि के अवसान के पश्चात यथाशीघ्र नहर अधिकारी उपधारा (4) के अधीन प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् :—

(क) प्रारूप स्कीम, उपान्तरणों सहित या उनके बिना, मंजूर करेगा ;

(ख) मंजूर की गई स्कीम को ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा जो नियमों द्वारा विहित की जाएं ;

IndiaCode

(ग) मंजूर की गई और इस प्रकार प्रकाशित स्कीम की एक प्रति कलक्टर को भेजेगा।

(घ) मंजूर की गई स्कीम में उल्लिखित भूमि के प्रत्येक धारक को विहित प्रारूप में और रीति में सूचना जारी करके धारक से यह अपेक्षा करेगा कि वह नहर अधिकारी को ऐसी सूचना की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर लिखित रूप में यह सूचित करे कि क्या वह स्वयं या अन्य धारकों के साथ संयुक्ततः नहर से अपनी भूमि तक जल ले जाए जाने के लिए जल सरणी सन्निर्मित करने के लिए रजामंद है।

(6) उपधारा (5) के अधीन मंजूर की गई स्कीम को अन्तिम स्कीम कहा जाएगा और वह उसमें उल्लिखित भूमि के सभी धारकों तथा उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों पर, आबद्धकर होगी।

(7) इस प्रकार मंजूर की गई किसी स्कीम के प्रयोजन के लिए भूमि के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

20ख. जल सरणियों के लिए अपेक्षित भूमि का कलक्टर द्वारा अर्जन :—(1) मंजूर की गई स्कीम को जो धारा 20क की उपधारा (5) के अधीन प्रकाशित की जा चुकी है, प्रति प्राप्त होने पर कलक्टर, उस स्कीम में विनिर्दिष्ट भूमियों की जल सरणी के सन्निर्माण के लिए अपेक्षित भूमियों के रूप में, अर्जित करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करेगा और ऐसी भूमियों पर कब्जा प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार कार्यवाई करेगा मानो उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन उस भूमि के अर्जन के लिए प्रशासक ने कोई घोषणा जारी कर दी हो तथा मानो प्रशासक ने कलक्टर को यह निदेश दिया हो कि वह उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन ऐसी भूमि के अर्जन के लिए आदेश ग्रहण करे तथा मानो प्रशासक ने उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन संक्षिप्ततः कब्जा लिए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए हों।

(2) जब उपधारा (1) के अनुसार भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए तब कलक्टर प्राधिकृत नहर अधिकारी को उस भूमि का कब्जा देगा।

(3) भूमि के अर्जन के खर्च की रकम, अन्तिम स्कीम में विनिर्दिष्ट भूमि के धारकों के बीच अन्तिम स्कीम के अधीन अवधारित उनके दायित्वों के अनुसार, प्रभाजित कर दी जाएगी।

20ग. प्राधिकृत नहर अधिकारी द्वारा जल सरणी का सन्निर्माण :—धारा 20ख की उपधारा (2) के अधीन भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेने पर प्राधिकृत नहर अधिकारी :—

(क) भूमि के ऐसे प्रत्येक धारक को, जिसने धारा 20क की उपधारा (5) के खण्ड (घ) के अधीन अन्तिम स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जल सरणी सन्निर्मित करने के लिए अपनी रजामन्दी अभिव्यक्त की है, विहित रीति में सूचना देकर उससे मांग करेगा कि वह अपनी भूमि पर उस विस्तार तक, जिस तक वह अन्तिम स्कीम के अधीन ऐसा करने के लिए दायी है, जलसरणी का सन्निर्माण करे;

(ख) ऐसी भूमि के धारक के खर्च पर अन्तिम स्कीम के अनुसार उस भूमि पर, जिसे खण्ड (क) लागू नहीं होता है, जलसरणी का सन्निर्माण प्रारम्भ करेगा; और

(ग) संबंधित भूमि के धारक से यह अपेक्षा करेगा कि वह केन्द्रीय सरकार को, उस दशा में जबकि जलसरणी या उसके किसी भाग के प्रयोग के लिए अपेक्षित भूमि को धारा 20ख के अधीन सरकार ने अर्जित किया हो, ऐसी राशि का संदाय करे जो अन्तिम स्कीम के अधीन भूमि अर्जन के खर्च के प्रभाजन के अनुसार उसके द्वारा देय है।

20घ. प्राधिकृत नहर अधिकारी द्वारा जल सरणी का सन्निर्माण :—यदि किसी भूमि का कोई धारक, जिसे धारा 20ग के अधीन कोई सूचना दी गई है, अन्तिम स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जलसरणी सन्निर्मित करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत नहर अधिकारी, ऐसे धारक के खर्च पर जल सरणी का सन्निर्माण करेगा।

20ङ. जलसरणी का सन्निर्माण पूर्ण हो जाने पर परिणाम :—(1) अन्तिम स्कीम में उल्लिखित जलसरणी का सन्निर्माण पूर्ण हो जाने पर प्राधिकृत नहर अधिकारी :—

(i) विहित प्रारूप में उस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ; और

(ii) लिखित आदेश द्वारा, धारा 20ख के अधीन अर्जित और जलसरणी के दखल वाली भूमि को, जलसरणी से लाभान्वित भूमि के सभी धारकों को, अन्तरित करेगा और तब इस प्रकार अन्तरित भूमि, उस पर सन्निर्मित जलसरणी सहित, ऐसे सभी धारकों में संयुक्ततः विनिहित हो जाएगी और धारा 21 से 25 तक के उपबंध (इसमें दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) सभी धारकों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे जलसरणी के स्वामी को लागू होते हैं।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, धारा 20ख के अधीन भूमि के अर्जन का खर्च तथा जल सरणी के सन्निर्माण का खर्च, जो अन्तिम स्कीम के अधीन किसी भूमि के धारक द्वारा देय है, वसूल करने के केन्द्रीय सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(30)

जल सरणियों के सन्निर्माण के खर्च के संदाय का दंग :—(1) किसी भूमि के अर्जन का खर्च और जलसरणी के सन्निर्माण का खर्च, जो अन्तिम स्कीम के अधीन भूमि के किसी धारक द्वारा देय है, उस निमित्त प्राधिकृत नहर अधिकारी द्वारा कोई सूचना जारी कर दी जाने पर, ऐसा धारक,—

(i) या तो विहित अवधि में एक मुश्त संदत्त करेगा, या

(ii) 4½% वार्षिक ब्याज सहित, पांच से अनधिक इतनी किस्तों में और ऐसी तारीखों को या उनसे पूर्व संदत्त करेगा जो प्राधिकृत नहर अधिकारी नियत करे।

(2) यदि भूमि धारक ने जलसरणी के सन्निर्माण के लिए कुछ कार्य कर लिया है या जलसरणी के दखल के लिए भूमि दान दी है तो प्राधिकृत नहर अधिकारी यथास्थिति, ऐसे किए गए कार्य के मूल्य का या ऐसे दान दी गई भूमि के मूल्य का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित मूल्य की कटौती, उपधारा (1) के अधीन धारक द्वारा देय खर्च में से कर दी जाएगी।

जल सरणियों के स्वामियों के अधिकार और बाध्यताएं :

21. जल सरणियों के स्वामियों की बाध्यताएं :—जल सरणी का प्रत्येक स्वामी :—

(क) जल सरणी से पार जाने के लिए आवश्यक सभी संकर्म सन्निर्मित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आबद्ध होगा। ऐसी जल सरणी के सन्निर्माण के समय अन्तर्रुद्ध सभी विद्यमान नहरों, जल सरणियों, निकास जलमार्गों और सार्वजनिक सड़कों आदि को बनाए रखने के लिए और पड़ोसी भूमियों के अधिभोगियों की सुविधा के लिए जल सरणी के एक ओर से दूसरी ओर तक उचित संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी, आबद्ध होगा ;

(ख) जल ले जाने के लिए, अच्छी मरम्मत कर दी गई स्थिति में, ऐसी जलसरणी को बनाए रखने के लिए आबद्ध होगा ;

(ग) जल सरणियों के स्वामियों और प्रयोगकर्ताओं के अधिकार :—जलसरणी का प्रयोग अन्य व्यक्तियों को करने देने या उसके संयुक्त स्वामित्व के रूप में अन्य व्यक्तियों को ऐसे निबन्धनों पर स्वीकृत करने के लिए, जो धारा 23 के उपबंधों के अधीन विहित किए जाएं, आबद्ध होगा,

और जल सरणी का प्रयोग स्वामी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इसमें आगे अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन सम्यक्तः प्राधिकृत है, और जो जल सरणी के जल के प्रयोग के लिए प्राधिकृत है, :—

(घ) ऐसी जल सरणी से ऐसी दरों पर और ऐसे निबन्धनों पर जल का प्रदाय पाने का हकदार होगा जो धारा 70 के अधीन प्रशासक द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा तथा धारा 44 के अधीन समय-समय पर विहित किए जाएं :—

परन्तु किसी जल सरणी का स्वामी और पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के अधीन पक्षकारों के बीच हुए किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुए अथवा धारा 23 के अधीन अधिरोपित किसी शर्त के अधीन रहते हुए, यथापूर्वोक्त कोई व्यक्ति किसी भी समय इस निमित्त तीन मास की लिखित पूर्व सूचना नहर अधिकारी को, जिसे ऐसी घटनाएं प्राप्त करने के लिए संशक्त किया गया है, देकर ऐसी जल सरणी में अपने हित से इस्तीफा दे सकता है।

22. अन्य व्यक्तियों के साथ स्वामी का ठहराव:—यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी जल सरणी से जल का प्रदाय चाहता है जिसका वह स्वामी नहीं है तो वह ऐसी जल सरणी से जल ले जाने की अनुज्ञा पाने के लिय उसके स्वामी से प्राइवेट ठहराव कर सकता है अथवा नहर अधिकारी को, जिसे इस बाबत संशक्त किया गया हो, ऐसी जल सरणी के प्रयोग का प्राधिकार दिए जाने अथवा ऐसी जल सरणी का संयुक्त स्वामी घोषित किए जाने के लिए, आवेदन कर सकता है।

23. नहर अधिकारी जांच करने के पश्चात प्रदाय के लिए प्राधिकृत कर सकता है या आवेदक को संयुक्त स्वामी घोषित कर सकता है :—ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर नहर अधिकारी स्वामी पर सूचना तामील करके इस बाबत कारण दर्शित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा कि क्यों न ऐसा प्राधिकार अनुदत्त कर दिया जाए अथवा क्यों न ऐसी घोषणा कर दी जाए [और यदि कोई आक्षेप नहीं किया जाता है अथवा किसी आक्षेप के लिए किए जाने पर ऐसा आक्षेप अपर्याप्त या अविधिपूर्ण पाया जाता है तो नहर अधिकारी, कलक्टर के अनुमोदन के अधीन रहते हुए प्रतिकर या लगान के संदाय की बाबत ऐसी शर्तों आदि के अधीन, जैसी उसे साम्यापूर्ण लगें, जल सरणी के प्रयोग के लिए आवेदक को प्राधिकृत कर सकता है या संबंधित जल सरणी के संयुक्त स्वामी के रूप में उसे घोषित कर सकता है।

24. अन्य प्रयोजनों से जल सरणी के लिए अर्जित भूमि का प्रयोग :—किसी जल सरणी के लिए इस भाग के अधीन अर्जित कोई सम्पत्ति और धारा 92 के अधीन सन्निर्मित जल सरणी द्वारा दखल की गई भूमि का किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग, नहर अधिकारी को, जो ऐसी अनुज्ञा देने के लिए सम्यकतः संशक्त है, पूर्व सम्पत्ति से ही किया जाय अन्यथा नहीं।

25. जब स्वामी कोई कार्य निष्पादित करने में या जल सरणी की मरम्मत करने में असफल रहता है, तब नहर अधिकारी ऐसा निष्पादन कर सकता है :—यदि धारा 2

के खण्ड (क) या (ख) द्वारा किसी जल सरणी के स्वामी पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करने में ऐसा स्वामी असफल रहता है तो :—

(क) कोई भी नहर अधिकारी, जिसे इस धारा सामान्यतः सशक्त किया गया है, उसे सूचना देकर उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह आवश्यक कार्य अथवा मरम्मत पन्द्रह दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर करे जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और यदि ऐसा स्वामी ऐसा करने में असफल रहता है तो नहर अधिकारी उसकी ओर से स्वयं ऐसे कार्य को निष्पादित कर सकेगा ;

(ख) जहां ऐसे नहर अधिकारी का समाधान हो जाता है कि जलसरणी से होकर जल के बहाव को अबाध रूप में बनाए रखने के लिए अथवा जल सरणी में जल के चक्रानुक्रम को बनाए रखने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है और आवश्यक कार्य या मरम्मत करना भी आवश्यक है तो वह स्वामी को ऐसी सूचना दिए बिना, स्वामी की ओर से ऐसा कार्य या मरम्मत कर सकेगा और, जैसा कि इस धारा में आगे उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसे कार्य या मरम्मत के किए जाने पर उपगत सभी व्यय ऐसे स्वामी से केन्द्रीय सरकार को शोध्य धन होगा।

जल सरणी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा मरम्मत व्यय के अंश का संदाय :—स्वामी से भिन्न ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसी किसी जल सरणी का प्रयोग करता है जिसके संबंध में इस धारा के अधीन किसी नहर अधिकारी ने कोई मरम्मत की है, पक्षकारों के बीच हुए प्रतिकूल किसी करार अथवा ऐसे व्यक्ति को ऐसी जलसरणी के प्रयोग का प्राधिकार देते समय धारा 23 के अधीन अधिरोपित तत्प्रतिकूल किसी शर्त के अभाव में, ऐसी मरम्मत के निष्पादन में उपगत व्ययों का ऐसा अनुपात केन्द्रीय सरकार को संदाय करने के लिए दायी होगा, जो उक्त नहर अधिकारी अवधारित करे।

बांधरा

25 क. ऐसी बांधरा की मरम्मत करने संबंधी बाध्यता जो अन्यसंक्रांत भूमियों और ग्रामों तथा ताल्लुकदारी ग्रामों में अवस्थित हैं:—(1) धारा 84 और 85 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, अन्यसंक्रांत भूमि या ग्राम का प्रत्येक धारक और ताल्लुकदारी ग्राम में के वन्ता भाग का प्रत्येक धारक (जिससे इसमें आगे "धारक" कहा गया है), यथास्थिति, अपनी भूमि या ग्राम या वन्ता में स्थित किसी बांधराओं की कलक्टर को समाधानप्रद रूप में सभी आवश्यक मरम्मत करने के लिए और उन्हें अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए आबद्ध होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन बांधरा की मरम्मत पर किया गया व्यय धारक और केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित रूप में वहन किए जाएंगे, अर्थात्:—

(i) ऐसे बांधरा के मामले में, जिससे केवल ऐसे ग्राम या ग्रामों की भूमि की सिंचाई होती है जिनकी आमदनी का बंटवारा धारक और केन्द्रीय सरकार के बीच होता है, धारक और केन्द्रीय सरकार के बीच मरम्मत के व्यय का प्रभाजन ऐसे अनुपात में होगा जिस अनुपात में दोनों के बीच आमदनी का बंटवारा होता है;

(ii) ऐसे बांधरा के मामले में जिससे ऐसे किसी ग्राम या ग्रामों में स्थित भूमि की सिंचाई होती है जिनकी आमदनी का बंटवारा धारक और केन्द्रीय सरकार के बीच होता है, और अन्यसंक्रांत न किए गए ऐसे ग्राम या ग्रामों में स्थित भूमि की सिंचाई होती है अथवा जो ताल्लुकदारी ग्राम के वन्ता भाग में स्थित भूमि की सिंचाई होती है और उक्त ग्राम में कोई अन्य भूमि की भी सिंचाई होती है। मरम्मत का खर्च, बांधरा द्वारा सिंचित भूमि के कुल क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए, विहित रीति में संगणित किया जाएगा। ऐसे ग्राम या ग्रामों के संबंध में, जिनकी आमदनी का प्रभाजन धारक और केन्द्रीय सरकार के बीच होता है, खर्च का आनुपातिक अंश उस अनुपात के आधार पर निकाला जाएगा जो अनुपात ऐसे ग्राम या ग्रामों की भूमि के क्षेत्रफल का, बांधरा द्वारा सिंचित भूमि के कुल क्षेत्रफल के साथ है। ऐसे ग्राम या ग्रामों की भूमि के संबंध में इस प्रकार निकाला गया आनुपातिक व्यय, उक्त खण्ड (1) में उपबन्धित रूप में धारक और केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) यदि इस धारा या धारा 25ख के अधीन धारक द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय के अंश या रकम के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला कलक्टर को निर्देशित कर दिया जाएगा और कलक्टर का विनिश्चय अन्तिम होगा।

25ख. बांधरा की मरम्मत करने में धारक के असफल रहने पर ऐसी मरम्मत का निष्पादन:—यदि धारक धारा 25क के अधीन उस पर अधिरोपित बाध्यता की पूर्ति करने में असफल रहता है तो कलक्टर सूचना द्वारा उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो कम से कम 15 दिन की होगी, आवश्यक मरम्मत कर दे और यदि धारक ऐसी मरम्मत कराने में असफल रहता है तो कलक्टर ऐसी मरम्मत उसकी ओर से करवा सकेगा। धारक, की गई मरम्मत पर उपगत व्यय में से उतना भाग देने के लिए दायी होगा जो कलक्टर धारा 25क की उपधारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते

IndiaCode

हो अवधारित करे । यदि धारक, ऐसे व्ययों के खाते उस में शोध्य किसी राशि के संदाय में, व्यतिक्रम करता है तो उसकी उससे वसूली राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी ।

जल सरणियों से संबंधित विवादों का निपटारा :

26. जलसरणी में हितबद्ध व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के बारे में विवाद का निपटारा :— यदि किसी जलसरणी के प्रयोग, सन्निर्माण या बनाए रखे जाने के संबंध में पारस्परिक अधिकारों या दायित्व के बारे में दो या अधिक व्यक्तियों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, या जलसरणी के संयुक्त स्वामियों के बीच ऐसी जल-सरणी के सन्निर्माण या बनाए रखे जाने के व्यय में उनके अपने अपने अंश के बारे में या ऐसे व्ययों के लिए उनके द्वारा अलग अलग दी गई रकमों के बारे में या अपना अंश-अभिदत्त करने में किसी स्वामी के असफल रहने के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे विवाद से हितबद्ध कोई भी व्यक्ति विवादग्रस्त विषय का कथन करते हुए लिखित रूप में ऐसे नहर अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जो ऐसे आवेदन प्राप्त करने के लिए सशक्त है । तत्पश्चात् ऐसा अधिकारी अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को इस बाबत सूचना देगा कि वह ऐसी सूचना में नामित तारीख को उक्त विषय में जांच प्रारम्भ करेगा और यदि सभी हितबद्ध व्यक्ति लिखित में सहमति देते हैं कि उसे मध्यस्थ बना दिया जाए तो वह मामले में अपने आदेश पारित कर सकेगा;

यदि सहमति नहीं हो पाती है तो वह विवाद कलक्टर को अन्तरित कर देगा और तब कलक्टर उसकी जांच करके उसमें आदेश पारित करेगा ।

इस धारा के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि कोई सिविल न्यायालय को किसी डिक्री से उसे अपास्त नहीं कर दिया जाता ।

भाग 4

जल के प्रदाय के लिए आवेदन

27. लिखित आवेदन पर जल का प्रदाय:—यदि कोई व्यक्ति नहर से जल का प्रदाय चाहता है तो वह आवेदन प्राप्त करने के लिए सम्यक्तः सशक्त नहर अधिकारी को इस बाबत एक लिखित आवेदन ऐसे प्ररूप में करेगा जो इस निमित्त प्रशासक समय-समय पर विहित करे ।

सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के लिए जल का प्रदाय :— लिखित आवेदन प्राप्त होने पर नहर अधिकारी, परिसीमाओं, नियंत्रण और माप संबंधी ऐसी विशेष शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन जल लिए जाने की अनुज्ञा दे सकता है जिनके अधिरोपण के लिए प्रशासक, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए जल के प्रयोग के संबंध में उसे सशक्त करे ।

प्रदाय के बारे में उपबंध

28. जब प्रदाय रोकने की शक्ति :—किसी ऐसी जलसरणी या ऐसे किसी व्यक्ति को जल का प्रदाय, जो ऐसे प्रदाय का हकदार है, नहीं रोका जाएगा,—

(क) जब और जितने समय के लिए वह, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदिष्ट किसी कार्य के निष्पादन के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ख) जब और जहां तक किसी ऐसी जल सरणी को, जिससे पानी लिया जाता है, मरम्मत को ऐसी हालत में नहीं रखा जाता है कि जल उससे बह कर व्यर्थ न जाए;

(ग) जब और जहां तक ऐसा करना इस दृष्टि से आवश्यक है कि जल के हकदार अन्य व्यक्तियों की विधिसंगत मांग के अनुसार जल का प्रदाय बारी बारी से किया जा सके;

(घ) जब और जहां तक ऐसा करना इस दृष्टि से आवश्यक है कि जल के व्यर्थ न होने देने या उसका दुरुपयोग होने से उसे रोका जाए ;

(ङ) इस निमित्त सम्यक रूप से सशक्त नहर अधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत अवधियों के भीतर जिनके बारे में सम्यक सूचना दी जाएगी ;

(च) जब और जहां तक ऐसे प्रदाय को तब तक के लिए रोकना आवश्यक हो जब तक कि धारा 91 के अधीन नहर अधिकारी द्वारा प्रदाय के स्रोत में परिवर्तन न कर दिया जाए;

(छ) ऐसी शर्त, यदि कोई हो, के अनुसार जिसमें जल प्रदाय के रोके जाने के लिए उपबन्ध किए गए हैं और जिसके अधीन जल दिए जाने के लिए अनुज्ञा दे दी गई है ।

29. प्रदाय की अवधि :—जब नहर से जल प्रदाय केवल एक या दो फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है तब जल के ऐसे उपयोग के लिए अनुज्ञा तब तक के लिए बनी रहेगी जब तक कि ऐसी फसल या फसलें पकने नहीं लग जातीं और यह अनुज्ञा केवल ऐसी फसल या फसलों के लिए ही लागू होगी ।

30. जल प्रदाय के करारों का उस सम्पत्ति के साथ अन्तरणीय होना जिनकी बाबत प्रदाय किया जाता है :—किसी भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पत्ति को नहर से जल प्रदाय करने के लिए किया गया प्रत्येक करार, ऐसी भूमि, भवन, या अन्य स्थावर सम्पत्ति के साथ अन्तरणीय होगा और जब ऐसी भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण किया जाता है तब ऐसे प्रत्येक करार का उनके साथ अन्तरण हुआ समझा जाएगा ।

जल का उपयोग करने के अधिकार का अन्य दशा में नहर अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अनन्तरणीय होना :—कोई

IndiaCode

व्यक्ति जो किसी नहर से संबंधित किसी कार्य या भूमि का उपयोग करने का हकदार है, और पूर्वोक्त किसी करार के अलावा भी कोई व्यक्ति, जो किसी नहर के जल का उपयोग करने का हकदार है, ऐसा उपयोग करने के अपने अधिकार का नहर अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, जो ऐसी अनुज्ञा देने के लिए सम्यक रूप से सशक्त है, विक्रय नहीं करेगा, या उसे उस पट्टे पर नहीं देगा या अन्यथा अन्तरित नहीं करेगा ।

भाग 5

प्रतिकर के लिए अधिनिर्णय

प्रतिकर के लिए दावा कब किया जा सकता है।

31. उन मामलों में प्रतिकर जिनमें पर्याप्त नुकसान अभिनिश्चित किया जा सकता है:—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने से हुए किसी ऐसे सारवान नुकसान के बारे में, जो ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय अभिनिश्चित और प्राक्कलित किया जा सकता है, प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जा सकता है :

अपवाद:—परन्तु निम्नलिखित के कारण उद्भूत होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई प्रतिकर इस प्रकार अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा; अर्थात्:—

(क) जलवायु के क्षय के कारण, या

(ख) नौ परिवहन के रोक दिए जाने, या बेड़े द्वारा टिंबर के ले जाए जाने, या पशुओं को जल पिलाए जाने के कारण, या

(ग) धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप जल प्रदाय रोकने या उसे कम करने के कारण, किन्तु तब जब ऐसे प्रदाय का उपयोग धारा 37 के अधीन अधिसूचना जारी करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष के भीतर न किया गया हो, या

(घ) नहर में जल न होने या उसके रोक दिए जाने के कारण उस दशा में जब ऐसा,—

(1) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के परे किसी कारण से है;

(2) नहर की कोई मरम्मत उसमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन के कारण से है, या

(3) किन्हीं ऐसे उपायों के कारण से है, जिन्हें इस निमित्त सम्यक के रूप से सशक्त नहर अधिकारी नहर में जल के उचित बहाव को विनियमित करने के लिए या सिंचाई की नियत सरणी को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे ;

जल रेट में छूट कब दी जा सकती है:—किन्तु यदि किसी को खंड (घ) में उल्लिखित किसी भी कारण, उसके जल प्रदाय के रोक दिए जाने या प्रदाय कम कर दिए जाने से कोई हानि होती है तो वह अपने द्वारा संदेय जल रेट में उतनी छूट का हकदार होगा जितनी प्रशासक द्वारा प्राधिकृत की जाए ।

32. दावों की परिसीमा:—इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए कोई दावा परिवादित नुकसान के प्रारम्भ होने के समय से बारह मास के अवसान के पश्चात् तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि कलक्टर का इस बाबत समाधान नहीं हो जाता कि दावाकृत व्यक्ति के पास ऐसी अवधि के भीतर दावा न करने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

33. लोप कर दिया गया ।

संक्षिप्त विनिश्चय

34. भूमि आदि पर प्रवेश करने से हुए नुकसान के लिए प्रतिकर:—धारा 6, धारा 7 धारा 8 या धारा 9 के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश के प्रत्येक मामले में, प्रवेश करने वाला नहर अधिकारी या व्यक्ति अभिनिश्चित करके यह अभिलिखित करेगा कि ऐसे प्रवेश से या किसी कार्य के निष्पादन में किसी फसल, वृक्ष, भवन, या अन्य सम्पत्ति को कितना नुकसान, यदि कोई हो, हुआ है और इस निमित्त सम्यक रूप से सशक्त नहर अधिकारी, ऐसे प्रवेश की तारीख से एक मास के भीतर भूमि धारक को या नुकसान ग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर निविदत्त करेगा ।

यदि ऐसा निविदान स्वीकार नहीं किया जाता है तो नहर अधिकारी मामले को प्रतिकर की रकम के बारे में जांच करने और उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, कलेक्टर को भेजेगा ।

35. जल प्रदाय में विघ्न के कारण प्रतिकर:—यदि नहर से सिंचित किसी भूमि को जल प्रदाय करने में कोई विघ्न धारा 31 के खंड (घ) में वर्णित रीति से भिन्न रीति में, डाला जाता है तो ऐसी भूमि का धारक ऐसे विघ्न से उद्भूत होने वाली हानी के प्रतिकर के लिए कलेक्टर को अर्जी पेश कर सकता है और कलेक्टर, नहर अधिकारी से परामर्श करने के बाद, ऐसी हानि के लिए अर्जीदार को युक्तियुक्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा ।

36. पिछली दो धाराओं में से किसी एक के अधीन प्रतिकरकी रकम के बारे में विनिश्चय निश्चायक है:—पिछली दो पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी एक के अधीन अधिनिर्णीत की जाने वाली प्रतिकर की रकम के बारे में किया गया कलेक्टर का विनिश्चय, या यदि धारा 70 के अधीन विरचित किसी नियम के अधीन ऐसे विनिश्चय के बारे में यह घोषणा कर दी जाती है कि उसके विरुद्ध अपील की जा सकेगी तो उस प्राधिकारी का विनिश्चय, जिसे अपील की जा सकती है, निश्चायक होगा ।

IndiaCode

(34)

औपचारिक न्यायनिर्णयन

37. कतिपय मामलों में प्रतिकर के लिए दावे के बारे में सूचना:—धारा 5 के अधीन अधिसूचना जारी करने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से कलेक्टर सुविधाजनक स्थान पर सार्वजनिक सूचना दिलवाएगा जिसमें यह कथित किया जाएगा कि केन्द्रीय सरकार को पूर्वोक्त रूप में जल का उपयोजन या उपयोग करने का आशय है और यह कि प्रतिकर के लिए दावा उसके समक्ष किया जा सकता है।

धारा 31 और 32 की एक प्रतिलिपि प्रत्येक ऐसी सूचना के साथ उपाबद्ध की जाएगी ।

38. कलेक्टरों के समक्ष दावे करना :—धारा 34 और 35 में उपबंधित प्रकृति के दावों को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए सभी दावे, उस जिले के कलेक्टर के समक्ष किए जाएंगे जिसमें ऐसे दावे उद्भूत होते हैं ।

39. भूमि अर्जन अधिनियम के उपबंधों द्वारा कलेक्टर का मार्गदर्शन किया जाना :—कलेक्टर प्रत्येक ऐसे दावे की जांच करेगा और प्रतिकर की वह रकम, यदि कोई हो, जो उसकी राय में दावेदार को दी जानी चाहिए, अवधारित करेगा और अधिनिर्णय देगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 26 में विहित प्ररूप में होगा और उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सकें, जांच और उपधारा (1) के अधीन अधिनिर्णय देने के संबंध में लागू होंगे ।

40. प्रतिकर नियत करते समय बाजार मूल्य में हुई कमी को विचार में लेना :—प्रतिकर का अधिनिर्णय करते समय पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रतिकर की रकम अवधारित करने में, उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य में हुई कमी को ध्यान में रखा जाएगा जिसकी बाबत प्रतिकार का दावा किया जाता है;

और जहां ऐसा बाजार मूल्य अभिनिश्चित न किया जा सकता हो, वहां प्रतिकर की रकम, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से ऐसी सम्पत्ति के शुद्ध वार्षिक लाभ में हुई कमी की रकम, के बाहरी गुणों के बराबर संगणित की जाएगी ।

41. प्रतिकर कब देय होगा :—धारा 39 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर के लिए संदेय सब धन राशियां, ऐसे प्रतिकर के लिए किए गए दावे के तीन मास पश्चात् देय होगी और उक्त तीन मास के पश्चात् संदत्त न की गई राशि पर प्रति वर्ष छह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज उस दशा को छोड़कर अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसी राशि के लिए दावेदार के आवेदन करने या उसे स्वीकार करने से उपेक्षा करने या इन्कार करने के कारण वह संदत्त न की गई हो ।

भू राजस्व और लगान का उपशमन

42. यदि केन्द्रीय सरकार को राजस्व की अदायगी करने वाले किसी व्यक्ति को, जल का प्रदाय रोकने या कम करने के कारण, धारा 39 के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाता है और ऐसी भूमि के कारण संदेय राजस्व की रकम उससे संबंधित जल लाभों के प्रति निर्देश से नियत की गई है, तो उक्त भूमि का धारक संदेय राजस्व की रकम के उपशमन का उस विस्तार तक हकदार होगा जिस तक कलक्टर अवधारित करे ।

43. जल प्रदाय में विघ्न पड़ने पर अवर धारक के लगान का उपशमन :—ऐसी किसी भूमि का, जिसके बारे में ऐसा प्रतिकर संदत्त किया गया है, प्रत्येक अवर धारक उस दशा में, जिसमें वह उक्त प्रतिकर का कोई भाग प्राप्त नहीं करता है, उस भूमि के वरिष्ठ धारक को अपने द्वारा पहले संदेय लगान में उस अनुपात में उपशमन का हकदार होगा जिस अनुपात में उसके द्वारा धारित क्षति के मूल्य में कमी हुई है ।

जल प्रदाय के प्रत्यावर्तन पर अवर धारक के लगान में में वृद्धि : किन्तु यदि उक्त भूमि को जल प्रदाय प्रत्यावर्तित करने के अवर धारक की धृति का मूल्य बढ़ जाता है और ऐसा प्रत्यावर्तन अवर धारक के खर्च पर नहीं किया जाता है, तो वरिष्ठ धारक ऐसे वर्धित मूल्य के अनुपात में वर्धित लगान का हकदार हो जाएगा :

परन्तु बढ़ाया गया लगान किसी भी दशा में, उपशमन से पूर्व अवर धारक द्वारा संदेय लगान से तब तक अधिक नहीं होगा जब तक कि वरिष्ठ धारक, इस धारा के उपबंधों पर आश्रित न होते हुए, पूर्व लगान बढ़ाने का हकदार नहीं होगा ।

भाग 6

जल रेट, सुधार प्रभार और सिंचाई उपकर

प्रदाय रेट

44. नहर के जल के लिए रेट का अवधारण:—सिंचाई के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रदाय किए गए नहर के जल के लिए ऐसे रेट उद्ग्रहणीय होंगे जैसे प्रशासक समय-समय पर अवधारित करे ।

उन मामलों के लिए उपबंध जिनमें विद्यमान जल प्रदाय में अभिवृद्धि की जाती है:—यदि नई नहर के सन्निर्माण या विद्यमान नहर में सुधार या उसके विस्तार के कारण किसी ऐसे जल प्रदाय की मात्रा या कालावधि में, जिसकी बाबत इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार को या तो कोई लगान नहीं दिया गया है या लगान की नियत रकम दी गई है, वृद्धि की जाती है तो रेट केवल बढ़ाए गए जल प्रदाय की बाबत इस धारा के अधीन, उद्ग्रहणीय होगा ।

Indian Code

उक्त रेट उस व्यक्ति द्वारा संदेय है जिसके आवेदन पर प्रदाय मंजूर किया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय है जो इस प्रकार प्रदाय किए गए जल का उपयोग करता है ।

यदा कदा लिए जाने वाले रेट

45. अप्राधिकृत रूप से जल का उपयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान न की जा सकने पर दायित्व : यदि जल सारणी से प्रदाय किए जाने वाले जल का उपयोग अप्राधिकृत रीति में किया जाता है और उस व्यक्ति की, जिसके कार्य या उपेक्षा से ऐसा उपयोग हुआ है, पहचान न की जा सकती हो तो वह व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति, जिनकी भूमि पर जल बहा है और ऐसी भूमि को ऐसे बहाव से फायदा हुआ है अथवा यदि ऐसे बहाव से किसी भूमि को कोई फायदा नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति, जो ऐसी जल सारणी से प्रदाय किए जाने वाले जल की बाबत प्रभार्य है, उन प्रभारों के लिए, यथास्थिति, दायी होगा या संयुक्त रूप से दायी होंगे, जो धारा 70 के अधीन प्रशासक द्वारा विहित नियमों के अधीन ऐसे उपयोग के लिए प्रभारित किए जाएं ।

46. व्यर्थ बह कर जाने वाले पानी के लिए दायित्व:— यदि जल सरणी से प्रदाय किया गया जल व्यर्थ बह कर निकलने दिया जाता है और जांच के पश्चात उस व्यक्ति का, जिसके कार्य या उपेक्षा से ऐसा जल व्यर्थ बहकर निकल गया है, पता न चलता हो, तो वह व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति, जो ऐसी जल सरणी से प्रदाय किए जाने वाले जल की बाबत प्रभार्य हैं, उन प्रभारों के लिए, यथास्थिति, दायी होगा या संयुक्त रूप से दायी होंगे जो इस प्रकार व्यर्थ हुए जल की बाबत, धारा 70 के अधीन प्रशासन द्वारा प्रभारित किए जाएं

इस धारा और पूर्ववर्ती धारा के अधीन उद्भूत होने वाले सभी प्रश्न, धारा 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त नहर प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।

47. शास्तियों के अतिरिक्त वसूलनीय प्रभार: जल के अप्राधिकृत उपयोग या उसके व्यर्थ बह कर निकलने के लिए सभी प्रभार ऐसे उपयोग या व्यर्थ बहने के कारण उपगत किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त जल रेटों के रूप में वसूल किए जा सकेंगे ।

अंत: स्रवण और रिसन-रेट

48. उस भूमि का जल रेट के लिए दायी होना जो अंत: स्रवण से फायदा उठाती है : यदि इस धारा के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए सम्यक् रूप से सशक्त नहर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी नहर के एक सौ पचासी मीटर के भीतर जोती गई कोई भूमि ऐसी नहर के अंत: हम स्रवणीया रिसने से उतना फायदा उठाती है जितना वह सिंचाई के लिए नहर से जल के सीधे प्रदाय से उठाती है ।

या यदि जोती गई कोई भूमि जहां कहीं भी वह स्थित हो, पृष्ठ बहाव से या ऐसी नहर में जल आ जाने के पश्चात पश्चात किसी नहर के एक सौ पचासी मीटर के भीतर किसी खुदे कुएं के माध्यम से ऐसे जल का प्रदाय प्राप्त करती है जिसका ऐसी नहर में अंत: स्रवण हुआ है या रिसा है, तो वह ऐसी भूमि पर उतने जल रेट से अनधिक जल रेट प्रभारित कर सकता है जो इसी प्रकार की जोती हुई भूमि को इसी प्रकार सीधे प्रदाय किए गए जल के लिए सामान्यत: प्रभारित की जाती ।

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के अधीन प्रभारित भूमि, नहर से सिंचित भूमि समझी जाएगी ।

48क अंत:स्रवण जल को सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के उपयोग में लेने के लिए जल रेट का उद्ग्रहण: —(1) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए सम्यक रूप से सशक्त नहर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी नहर के एक सौ पचासी मीटर के भीतर कोई प्राकृतिक जल धारा, कृत्रिम नाला या खोदा गया कुआं ऐसी नहर से अंत: स्रवण जल प्राप्त करता है, और ऐसी जलधारा, नाले या कुएं के जल का उपयोग सिंचाई के प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, तो वह ऐसे जल के उपयोग के लिए ऐसा जल रेट प्रभारित कर सकता है जो उस जल रेट से अधिक नहीं होगा जो नहर से ऐसे प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय किए जाने की दशा में सामान्य रूप से प्रभारित की जाती ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसी जलधारा, नाले या कुएं के जल को लागू होंगे जिसका उपयोग किसी गांव के निवासियों द्वारा पूर्वतया घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

सुधार प्रभार

49. नहर के नियंत्रणाधीन सिंचाई योग्य भूमि की बाबत स्कीम और नहर के संन्निर्माण या उसमें सुधार आदि के संबंध में सुधार प्रभार:—जब किसी नहर का संन्निर्माण या विद्यमान नहर में सुधार या उसका विस्तार किया जाता है, तब प्रशासक इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को एक स्कीम तैयार करने के लिए निदेश देगा जिसमें नहर से सिंचाई की जा सकने योग्य भूमि और ऐसी भूमि पर उद्ग्रहणीय सुधार प्रभार दिखाए गए हों ।

50. स्कीम को प्रकाशित करना और स्वामियों तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना : —(1) इस प्रकार तैयार की गई स्कीम राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में जैसी नियमों द्वारा विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी ।

(2) धारा 49 के अधीन सशक्त अधिकारी उन व्यक्तियों को, जिनके बारे में यह ज्ञात है या विश्वास किया जाता है कि वे नहर से सिंचाई योग्य भूमि के स्वामी हैं या वे उसमें हितबद्ध हैं, सूचना भी दी जाएगी जिसमें उनसे, उसमें उल्लिखित समय और स्थान में (ऐसा समय सूचना की

तारीख से एक मास पूर्व की नहीं होगी), या तो व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता के द्वारा उक्त अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी जिससे कि वे निम्नलिखित के बारे में अपने आक्षेप, यदि कोई हों, कथित कर सकें, अर्थात् :—

(क) स्कीम में भूमि को, नहर से सिंचाई की जा सकने योग्य भूमि के रूप में सम्मिलित करने के बारे में, और

(ख) ऐसी भूमि पर सुधार प्रभार अधिरोपित करने और उसकी वसूली के बारे में।

51. जांच और अधिनिर्णय :—धारा 50 के अधीन नियत तारीख को या ऐसी अन्य तारीख को, जिसके लिए जांच स्थगित की जाए, सम्बद्ध अधिकारी भू-राजस्व विनियम द्वारा उपबंधित रीति में औपचारिक जांच करने के पश्चात और धारा 50 के अधीन सूचना द्वारा यथा अपेक्षित व्यक्तियों द्वारा कथित आक्षेपों के बारे में यदि कोई हों, सुनवाई करने के पश्चात, अधिनिर्णय देगा। अधिनिर्णय में निम्नलिखित के बारे में उल्लेख किया जाएगा :—

(क) नहर से सिंचाई योग्य भूमि के बारे में;

(ख) नई नहर का सन्निर्माण या विद्यमान नहर में सुधार या उसका विस्तार होने से ऐसी भूमि के मूल्य में हुई वृद्धि के बारे में;

(ग) उक्त प्रत्येक भूमि पर उद्ग्रहणीय सुधार प्रभार की रकम के बारे में;

(घ) उस तारीख के बारे में, जिससे ऐसे सुधार प्रभार उद्ग्रहणीय होंगे :

परन्तु कोई सुधार प्रभार किसी ऐसी भूमि के बारे में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जो खराब है।

52. मूल्य में वृद्धि और सुधार प्रभार :—नई नहर के पूर्ण हो जाने या विद्यमान नहर में सुधार या उसका विस्तार कर दिए जाने के कारण मूल्य में जो वृद्धि होगी वह उस अन्तर की रकम के बराबर होगी जो उक्त पूर्ण होने की तारीख को भूमि के मूल्य की रकम और सन्निर्माण की तारीख को भूमि के मूल्य की रकम के बीच होने की संभावना है और सुधार प्रभार मूल्य में हुई ऐसी वृद्धि के आधे के बराबर होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा :—

(क) नहर के सन्निर्माण या सुधार या विस्तार से संबंधित किसी संकर्म के सन्निर्माण के प्रारंभ होने की तारीख को, सन्निर्माण की तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा;

(ख) नहर के सन्निर्माण, सुधार या विस्तार के पूर्ण होने की तारीख को, समाप्ति की तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा।

53. कलेक्टर अपील :—(1) अधिनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति अधिनिर्णय की तारीख से साठ दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है।

(2) भू-राजस्व विनियम के अध्याय 13 के उपबंध ऐसी अपीलों को उसी प्रकार लागू होंगे मानों धारा 59 के अधीन सशक्त अधिकारी राजस्व अधिकारी हो और कलेक्टर उसका अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी हो।

54. प्रशासक द्वारा पुनरीक्षण :—प्रशासक धारा 51 के अधीन की गई किसी जांच के या धारा 53 के अधीन की गई अपील की कार्यवाही के अभिलेख, ऐसी जांच या कार्यवाही की वैधता या नियमितता के प्रति अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, मंगवा सकता है और उनकी परीक्षा कर सकता है तथा कलेक्टर के अधिनिर्णय या विनिश्चय को उपान्तरित कर सकता है या उलट सकता है।

55. प्रशासक के आदेशों, कलेक्टर के विनिश्चय और अधिनिर्णय की अन्तिमता :—धारा 54 के अधीन पुनरीक्षण में प्रशासक द्वारा पारित कोई आदेश और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, धारा 53 के अधीन अपील के संबंध में कलेक्टर का विनिश्चय, और प्रशासक के आदेश तथा अपील के संबंध में कलेक्टर के विनिश्चय के अधीन रहते हुए, धारा 51 के अधीन दिया गया अधिनिर्णय, अन्तिम होगा।

56. सुधार प्रभारों का भूमि पर, भू-राजस्व के बाद सर्वप्रथम प्रभारित किया जाना :—अधिनिर्णय में उस तारीख के रूप में, जिससे सुधार प्रभार उद्ग्रहणीय होंगे, विनिर्दिष्ट तारीख से, या उस तारीख से, जो धारा 53 के अधीन अपील में, कलेक्टर द्वारा या धारा 54 के अधीन पुनरीक्षण में प्रशासक द्वारा उस तारीख के रूप में, जिससे ऐसे प्रभार उद्ग्रहणीय होंगे, अन्यथा विनिर्दिष्ट की जाए, वे सुधार प्रभार, जो किसी भूमि की बाबत वसूलीय हैं, भूमि पर केन्द्रीय सरकार को देय भू-राजस्व, यदि कोई हो, के पूर्व संदाय के अधीन रहते हुए, उस भूमि पर जिसकी बाबत ऐसे सुधार प्रभार उद्ग्रहणीय हैं, सर्वप्रथम भार होंगे।

56क. सुधार प्रभारों का संदाय :—सुधार प्रभार, धारा 70 के अधीन प्रशासक द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन नियत की गई तारीख को संदेय होंगे :

परन्तु यह तब जब उस भूमि का स्वामी, जिस पर ऐसे प्रभार अधिरोपित किए जाते हैं केन्द्रीय सरकार के पक्ष में एक करार निष्पादित करे जिसमें वह यह करार करे कि वह ऐसे प्रभारों की रकम का, वार्षिक किस्त में और उस पर ब्याज का, ऐसी दर पर और ऐसी अवधि के भीतर जो नियमों द्वारा विहित की जाए संदाय करेगा।

56ख. सुधार प्रभारों के बदले में भूमि का त्यजन या उसकी अदला-बदली :—धारा 56क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक उस भूमि के स्वामी को, जिस पर सुधार प्रभार सदेय हों, उन शर्तों पर जो नियमों द्वारा विहित

IndiaCode

का अधि, केन्द्रीय सरकार के पक्ष में समस्त भूमि या उसके किसी भाग का त्यजन करने या उसकी अदला-बदली करने के लिए अनुज्ञा कर सकता है :

परन्तु ऐसे त्यजन या अदला-बदली की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसी भूमि विल्लंगमरहित न हो ।

56ग. लोप कर दिया गया ।

56घ. लोप कर दिया गया ।

56ङ. लोप कर दिया गया ।

56च. लोप कर दिया गया ।

बकाया जल रेटों और शोध्य रकमों की वसूली

57. जल-रेटों और अन्य शोध्य रकमों का संदाय और उनकी वसूली :—(1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय या प्रभारित प्रत्येक जल-रेट ऐसी किस्तों में और ऐसी तारीखों को तथा ऐसे अधिकारियों को देय होगा जैसा कि प्रशासक के आदेशों के अधीन समय-समय पर निश्चित किया जाए ।

(2) यदि किसी ऐसी रेट की किस्त का संदाय उसके देय होने की तारीख को नहीं किया जाता है तो वह उस भू-राजस्व की बकाया के रूप में समझी जाएगी जो उस भूमि के कारण देय है जिसके उपयोग के लिए नहर से जल का प्रदाय किया गया है या जिसे किसी नहर के अंतः स्राव या रिसने से फायदा हुआ है और वह किस्त, भू-राजस्व विनियम की धारा 167 में विनिर्दिष्ट किसी रीति से, जिसके अन्तर्गत उक्त भूमि का समपहरण भी है, ऐसी बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

यदि सुधार प्रभारों की रकम का या उसकी किसी भी किस्त का, उस पर ब्याज सहित संदाय धारा 56क में विनिर्दिष्ट तारीख को नहीं किया जाता है तो वह उस भूमि के कारण देय भू-राजस्व की बकाया के रूप में समझी जाएगी जिसकी बाबत वह संदेय है और वह भू-राजस्व विनियम की धारा 167 में विनिर्दिष्ट किसी भी रीति से, जिसके अन्तर्गत उक्त भूमि का समपहरण भी है, ऐसी बकाया के रूप में भी वसूलीय होगी ।

(3) किसी जल सरणी के उपयोग के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी जल सरणी के स्वामी को संदेय कोई लगान ऐसी किस्तों में और ऐसी तारीखों को संदत्त किया जा सकता है जैसी कि धारा 23 के अधीन कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से सशक्त नहर अधिकारी निदेश करे और लगान के संदाय के लिए दायी व्यक्ति से वस्तुतः वसूल किए गए लगान से अधिक लगान उक्त स्वामी को किसी भी समय संदेय नहीं होगी ।

(4) यदि—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी नहर अधिकारी को देय किसी अन्य राशि का संदाय उसके गांग किए जाने पर, नहीं किया जाता है वह राशि भाग 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, और

(ख) जल सरणी के स्वामी को संदेय किसी लगान या उसकी किस्त का संदाय उसके देय होने पर नहीं किया जाता है तो वह लगान या उसकी किस्त स्वामी की ओर से भू-राजस्व विनियम के उपबंधों के अनुसार भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

भाग—7

आपात स्थितियों में श्रमिक अभिप्राप्त करना

58. अति आवश्यक संकर्मों या मरम्मतों के लिए श्रमिक अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया :—जब इस धारा के अधीन कार्य करने के लिए सम्यक रूप से सशक्त किसी नहर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि यदि कोई काम या मरम्मत तत्काल नहीं की जाती है तो नहर को ऐसा भारी नुकसान होगा कि उससे अचानक और व्यापक सार्वजनिक क्षति होगी, या यदि नहर की सफाई या कोई अन्य कार्य, जो सिंचाई के निर्धारित मार्ग को बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक है, तत्काल नहीं किया जाता है तो गंभीर सार्वजनिक हानि होगी ।

और यह कि ऐसी मरम्मत, सफाई या कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक श्रमिक सामान्य रीति में उतने समय के भीतर जो उक्त मरम्मत आदि के निष्पादन के लिए इस दृष्टि से अनुज्ञेय है कि ऐसी क्षति या हानि को रोका जा सके, अभिप्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तब उक्त अधिकारी स्वहस्ताक्षरित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इस धारा के उपबंध ऐसी मरम्मत, सफाई या कार्य के निष्पादन के लिए प्रवृत्त किए जाएं; और तब ऐसा प्रत्येक समर्थ व्यक्ति जो उस परिक्षेत्र के समीप जिसमें ऐसी मरम्मत, सफाई या कार्य का निष्पादन किया जाना है, निवास करता है या भूमि धारित करता है, और जिसका नाम इसमें आगे उल्लिखित सूची में दिया गया है, उस दशा में जिसमें उससे ऐसे अधिकारी द्वारा इस निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, ऐसी मरम्मत, सफाई या कार्य के निष्पादन में वहां ऐसा श्रम करके सहायता करने के लिए बाध्य होगा जैसा कि ऐसा अधिकारी या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निदेश करे ।

इस प्रकार श्रम करने वाले सभी व्यक्ति ऐसी दरों पर संदाय के हकदार होंगे जो आसपास में इसी प्रकार के श्रम के लिए तत्समय दी जा रही उच्चतम दरों से कम नहीं है ।

59. श्रमिकों की सूची.—ऐसे नियमों के, जो धारा 70 के अधीन समय-समय पर इस निमित्त विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए, कलक्टर उन व्यक्तियों की, जिनसे पूर्वोक्त रूप में सहायता करने की अपेक्षा की जा सकेगी, एक सूची तैयार करेगा और वह उस सूची में या उसके किसी भाग

में समय-समय पर और नाल जोड़ सकेगा या परिवर्तन कर सकेगा ।

60. नहर अधिकारी द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट :— धारा 58 के अधीन दिए गए सभी आदेशों की रिपोर्ट, प्रशंसक की जानकारी के लिए तत्काल कलेक्टर को, और इसी प्रकार मुख्य सिंचाई इंजीनियर को, की जाएगी ।

भाग 8

शास्तियां

61. नहर आदि को नुकसान पहुंचाना :—जो कोई स्वेच्छा से और उचित प्राधिकार के बिना :—

(1) किसी नहर को नुकसान पहुंचाएगा, उसमें परिवर्तन करेगा उसका विस्तार करेगा, या उसमें बाधा डालेगा :

(2) किसी नहर में जल के प्रदाय में या उसे, उसके माध्यम से या उसके ऊपर या नीचे से जल के बहाव में हस्तक्षेप, वृद्धि या कमी करेगा अथवा किसी प्रकार नहर के जल के स्तर को ऊंचा या नीचा करेगा;

(3) किसी नहर के जल को दूषित या गन्दा करेगा जिससे कि वह उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए उसका सामान्यतया उपयोग किया जाता है, अधिक अच्छा न रहे ;

(4) किसी लोक सेवक के प्राधिकार से नियत स्तर-चिह्न या जल-गेज को नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या हटाएगा;

(5) किसी नहर में जल के बहाव को विनियमित करने या मापने वाले किसी साधित्र को या किसी साधित्र के पूर्जे को नष्ट करेगा, उसमें छेड़छाड़ करेगा या उसे हटाएगा ;

(6) धारा 70 के अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल, नहर के किसी भी संकर्म, तटों या जलमार्ग में से होकर जाएगा या उसे पार करेगा या पशुओं अथवा यानों को उसमें से होकर ले जाएगा या उन्हें ऐसी नहर पार कराएगा, जबकि उससे ऐसा न करने की वांछा की जा चुकी हो;

(7) किसी नहर या बाढ़-तटबंध पर पशु चराएगा या जानते हुए और जानबूझ कर उन्हें चरने देगा अथवा उस नहर या तटबंध पर पशु बांधेगा या बंधवाएगा या जानते हुए और जानबूझ कर बांधने देगा अथवा उस नहर या तटबंध पर उग रही घास या अन्य-पेड़-पौधों को उखाड़ेगा या उन्हें वहां से हटाएगा या काटेगा या किसी भी तरह उन्हें क्षति पहुंचाएगा अथवा उस नहर या तटबंध का संरक्षण करने वाले किसी वृक्ष, झाड़ी, घास या झाड़ को हटवाएगा या कटवाएगा या अन्यथा उसे क्षति पहुंचाएगा;

(8) युक्तियुक्त कारण के बिना किसी मरम्मत, सफाई या संकर्म के निष्पादन में सहायता करने या सहायता करते रहने की उपेक्षा तब करेगा जब वह धारा 58 के अधीन सहायता करने या करते रहने के लिए विधिबाध्य है;

(9) धारा 70 के अधीन बनाए गए किसी ऐसे नियम अतिक्रमण करेगा जिसके भंग के लिए प्रशासक ने ऐसे नियमों द्वारा शास्ति दी जाने का निदेश किया हो;

और जो कोई—

(10) जल सरणी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हुए, या जलसरणी का उपयोग करते हुए, ऐसी जल सरणी से जल को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए उचित पूर्व सावधानियां बरतने में उपेक्षा करेगा या ऐसी जलसरणी से जल के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करेगा या अप्राधिकृत रीति में उसके जल का उपयोग करेगा या ऐसी जलसरणी का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत या धारा 23 के अधीन जलसरणी के संयुक्त स्वामी के रूप में घोषित किसी व्यक्ति को उसका विधिपूर्वक उपयोग नहीं करने देगा. या उपयोग में हस्तक्षेप करेगा;

वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय उस दशा में होगा जब मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध किए जाने पर ऐसा कार्य भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 55) के अर्थ में रिष्टि के अपराध की कोटि में नहीं होगा ।

62. नहर आदि के स्थायित्व को खतरे में डालना :— जो कोई उचित प्राधिकार के बिना :—

(1) किसी नहर में सुराख करेगा या उसे काटेगा अथवा उसमें सुराख करने या उसे काटने का प्रयत्न करेगा अथवा अन्यथा उसे नुकसान पहुंचाएगा या नष्ट करेगा या उसके स्थायित्व को खतरे में डालेगा;

(2) किसी नहर के किसी स्लूस को खोलेगा, बंद करेगा या उसमें बाधा डालेगा अथवा उसे खोलने, बंद करने या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा;

(3) किसी ऐसी नदी या नहर की, जिसके तट पर बांध-तटबंध है, धारा को मोड़ने या रोकने के प्रयोजन के लिए कोई बांध बनाएगा या रूकावट डालेगा, अथवा जब उससे ऐसे बांध या रूकावट को हटाने की अपेक्षा की जाए तब उसे हटाने से

इन्कार या उपेक्षा करेगा, वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय उस दशा में होगा जब प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध किए जाने पर ऐसा कार्य भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 45) के अर्थ में रिष्टि के अपराध की कोटि में नहीं होगा ।

63. रुकावट का हटाया जाना और नुकसान की मरम्मत करना :—जब किसी व्यक्ति को पिछली दो पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी एक के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तब दोषसिद्ध ठहराने वाले मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि वह उस रुकावट को हटाएगा या उस नुकसान की पूर्ति करेगा जिसके बारे में उसकी दोषसिद्धि की गई है। यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियत अवधि के भीतर ऐसे आदेश की उपेक्षा उसका पालन करने से इन्कार करता है, तो इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त कोई नहर अधिकारी ऐसी रुकावट हटा सकता है या ऐसे नुकसान की मरम्मत कर सकता है, और ऐसे हटाने या मरम्मत की लागत, उक्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित रूप में, कलेक्टर द्वारा ऐसे व्यक्ति से राजस्व की बकाया के रूप में उद्ग्रहणीय होगी ।

64. नहर पर नियोजित व्यक्ति अपराधियों को अपनी अभिरक्षा में ले सकते हैं :—किसी नहर का भारसाधक उस पर नियोजित कोई व्यक्ति नहर से संबंधित भूमि या भवन से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी दृष्टि में :—

(1) किसी नहर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, रुकावट डालता है या उसे गंदा करता है, या

(2) किसी नहर के या उससे, अथवा किसी नदी के अथवा जलधारा के, जल प्रदाय या जल के बहाव में उचित प्राधिकार के बिना, हस्तक्षेप करता है, जिससे कि किसी नाहर को खतरा हो जाए, नुकसान हो जाए या वह खतरनाक हो जाए, या कम उपयोगी हो जाए,

वहां से हटा सकता है, या उसे वारण्ट बिना अपनी अभिरक्षा में ले सकता है और विधि के अनुसार कार्रवाई की जाने के लिए उसे तत्काल मजिस्ट्रेट या निकटम पुलिस थाने ले जाएगा ।

65. अन्य विधियों के अधीन अभियोजन की व्यावृत्ति :—इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात, इस अधिनियम द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी कार्य या लोप के लिए किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजना चलाए जाने से नहीं रोकेगी;

परन्तु किसी व्यक्ति को उसी कार्य या लोप की बाबत दो बार दण्ड नहीं दिया जाएगा ।

66. जानकारी देने वाले को जुर्माने का इनाम दे कर संदाय :—जब किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए जुर्माना किया जाता है तब वह न्यायालय, जो ऐसा जुर्माना अधिरोपित करता है, या जो ऐसे जुर्माने की अपील या पुनरीक्षण में पुष्टि करता है, यह निदेश दे सकता है कि ऐसा समस्त जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे किसी व्यक्ति को इनाम के तौर पर संदत्त कर दिया जाए जिसने जानकारी दी थी और उस जानकारी से ऐसे अपराध का पता चला था, या अपराधी की दोषसिद्ध की गई थी ।

यदि जुर्माने का अधिनिर्णय किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसके विनिश्चय की अपील या उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है, तो अधिनिर्णीत जुर्माने की रकम का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील पेश करने के लिए विहित अवधि व्यतीत नहीं हो जाती या यदि अपील की जाती है तो संदाय, अपील के विनिश्चय के पश्चात् किया जाएगा ।

भाग—9

प्रकीर्ण

67. अधिनियम के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील :—धारा 13.18, 20क, 20च, 25, 30, 45, 46, 48 और 48क के अधीन नहर अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश कलेक्टर को अपीलीय होगा :—

परन्तु यह तब जब अपील उस तारीख के तीस दिन के भीतर पेश कर दी जाए, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपीलार्थी को संसूचित किया गया है ।

इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सभी आदेश और कार्यवाहियां प्रशासक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी ।

68. साक्षियों को समन करने और उनकी परीक्षा करने की शक्ति :— जांच के लिए इस अधिनियम के अधीन संशक्त कोई अधिकारी, साक्षियों को समन करने और उनकी परीक्षा करने तथा दस्तावेज पेश करने से संबंधित सभी शक्तियों का उसी प्रकार प्रयोग कर सकता है जिस प्रकार वे सिविल न्यायालयों को प्रदत्त की गई हैं; और प्रत्येक ऐसी जांच न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

69. सूचना की तामील :—इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना की तामील, उसकी एक प्रति का परिदान या निविदान करके, की जाएगी । इस प्रति पर उसमें उल्लिखित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। जब कभी साध्य हो तो सूचना की तामील उसमें नामित व्यक्ति पर ही की जाएगी । जब ऐसा व्यक्ति न मिल सके तब उसकी तामील उसके साथ रहने वाले उसके कुटुम्ब के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकती है और यदि ऐसा व्यस्क पुरुष सदस्य न

IndiaCode

कि न मिले तो, सूचना की एक प्रति उस गृह के, जिसमें वह व्यक्ति, जिसका नाम उस सूचना में दिया गया है, मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है, बाहरी दरवाजे पर चिपका कर तामील की जा सकती है और यदि उस व्यक्ति का जिस में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है तो किसी सूचना की तामील ऐसी सूचना की प्रति बंद लिफाफे में, जिस पर ऐसे व्यक्ति के सामान्य निवास स्थान का पता लिखा होगा, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज कर की जा सकती है ।

70. नियम बनाने, उनमें परिवर्तन करने और उन्हें रद्द करने की शक्ति :—(1) प्रशासक निम्नलिखित विषयों को विनियमित करने के लिए समय समय पर ऐसे नियम बना सकता है जो इस अधिनियम से असंगत न हों :—

(क) किसी ऐसे अधिकारी की कार्यवाहियां, जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है या जो उसके लिए सशक्त किया गया है ;

(ख) ऐसे मामले, जिनमें ऐसे अधिकारी जिन्हें और ऐसी शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किए गए ऐसे आदेश या विनिश्चय अपीलीय होंगे जिनके विरुद्ध अपील की बाबत कोई उपबंध अभिव्यक्त रूप से नहीं किए गए हैं;

(ग) वह व्यक्ति जिसके द्वारा, वह समय, स्थान या रीति जिस पर या जिसमें कोई ऐसी बात की जाएगी जिसके किए जाने के लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है;

(गक) धारा 15 के अधीन जल सरणी के संनिर्माण की रीति,

(गख) धारा 20क के अधीन प्रारूप स्कीम में विहित की जाने वाली अन्य विशिष्टियां और उन्हें प्रकाशित करने की रीति;

(गग) धारा 20क के अधीन अन्तिम स्कीम प्रकाशित करने की रीति और भूमि के प्रत्येक धारक को जारी की जाने वाली सूचना की रीति और उसका प्ररूप;

(गघ) धारा 20ग के अधीन सूचना का प्ररूप और ऐसी सूचना देने की रीति;

(गङ) धारा 20ङ के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(गच) धारा 20च के अधीन एक मुश्त राशि के संदाय की अवधि ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रभार की रकम;

(घक) वह रीति जिसमें धारा 25क की उपधारा (2) के अधीन मरम्मत का खर्च परिकलित किया जाएगा;

(घ1) अन्य रीति जिसमें धारा 50 के अधीन स्कीम प्रकाशित की जाएगी;

(घ2) धारा 56क के अधीन संदत्त किए जाने वाले सुधार प्रभारों की किस्तों के भुगतान की तारीख, उस पर देय ब्याज और वह अवधि जिसके भीतर उनका भुगतान किया जाएगा;

(घ3) सुधार प्रभारों, उनकी किस्तों और उन पर ब्याज में छूट को निलम्बित करना;

(घ4) शर्तें जिनके अधीन रहते हुए भूमि का त्यजन या उसकी अदला-बदली धारा 56ख के अधीन अनुज्ञात की जाएगी;

(घ5) नहर से सिंचाई की जा सकने योग्य भूमि पर उद्ग्रहणीय सुधार प्रभारों के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का क्षेत्रों में विभाजन; और

(ङ) सामान्यतया इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करना ।

प्रशासक बनाए गए किन्हीं नियमों में समय-समय पर परिवर्तन या उन्हें रद्द कर सकता है ।

नियमों का प्रकाशन :—ऐसे नियम, उनमें दिए गए परिवर्तन और उनका रद्दकरण, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तब वे प्रवृत्त हो जाएंगे ।

71. नगरपालिका जलसंकर्म की व्यावृत्ति :—इस अधिनियम की कोई बात, किसी नगरपालिका में निहित किसी नहर, जल मार्ग, जलाशय, झील या अन्य जल-संग्रह को लागू नहीं समझी जाएगी ।

भाग 10

द्वितीय-वर्ग सिंचाई संकर्म

72. इस भाग का लागू होना :—यह भाग केवल द्वितीय वर्ग सिंचाई संकर्म को ही लागू होगा ।

73. द्वितीय-वर्ग सिंचाई संकर्म की अधिसूचना :—प्रशासक राजपत्र में :—

(क) यह घोषित करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित कर सकता है कि किसी नहर, जल मार्ग, जलधारा नदी, कुंए, नलकूप उत्स्युत कूप, पाइप या जलाशय (प्राकृतिक या कृत्रिम) अथवा बांधरा या उसके किसी भाग को, चाह उसका संनिर्माण, रखरखाव या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है या नहीं और जिसका वस्तुतः उपयोग सिंचाई के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसी के लिए अपेक्षित है, द्वितीय-वर्ग सिंचाई संकर्म के रूप में नियत करने का प्रस्ताव है; और

(ख) ऐसी कोई अवधि, जो ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् से चार मास

IndiaCode

से पूर्व की नहीं होगी, नियत करते हुए, एक अधिसूचना प्रकाशित कर सकता है कि ऐसे प्रस्ताव के बारे में आक्षेप, ऐसी अवधि के भीतर पेश किए जा सकते हैं ।

परन्तु यदि किसी कृत्रिम जलाशय का या ऐसे जलाशय से जल प्राप्त करने वाली जल सरणी का सिंचाई के लिए वस्तुतः उपयोग एक ही सेचक द्वारा किया जाता है तो ऐसी कोई भी जलाशय या ऐसी कोई भी जलसरणी ऐसी अधिसूचनाओं या तो सेचक की सहमति से सम्मिलित की जाएगी या यदि प्रशासक की राय में ऐसे सम्मिलित किया जाना लोक हित में आवश्यक है तो सेचक की सहमति के बिना तब सम्मिलित की जाएगी जब उपधारा (3) में उल्लिखित घोषणा के जारी किए जाने के पश्चात् ऐसे सेचक को उसके अधिकारों के लिए ऐसे प्रतिकर का संदाय कर दिया गया हो जैसा धारा 79 के उपबंध के अनुसार तय किए जाए ।

(2) ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात् कलेक्टर उसे, यथाशीघ्र उस जिले को, जिसमें संकर्म स्थित है, भाषा में और प्रत्येक ऐसे नगर और गांव में भी, जिस पर कलक्टर की राय में ऐसी अधिसूचना का प्रभाव पड़ने की संभावना है, प्रकाशित करेगा ।

(3) पूर्वोक्त रूप में नियत अवधि के भीतर प्राप्त किए जा सकने वाले आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् प्रशासक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी नहर, जल मार्ग, जलधारा, नदी, कुंए, नलकूप, उत्तरयुत कूप, पाइप, जलाशय या बांध या उसके किसी भाग को द्वितीय-वर्ग सिंचाई संकर्म के रूप में घोषित कर सकता है ।

74. कलक्टर द्वारा उद्घोषणा :—धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् कलक्टर उस तालुक के, जिसमें संकर्म स्थित है, मामलातदार के कार्यालय के जिले की भाषा में, और प्रत्येक नगर और गांव में, जिस पर कलक्टर की राय में ऐसी घोषणा का प्रभाव पड़ने की संभावना है, एक उद्घोषणा प्रकाशित करेगा जिसमें —

(क) यथासंभव निकटतम, धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित द्वितीय-वर्ग सिंचाई संकर्म के जल-स्रोत, स्थित और परिसीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

(ख) यह कथित करेगा कि यह भाग इस प्रकार अधिसूचित संकर्म को, धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से, लागू होता है ; और

(ग) ऐसी उद्घोषणा की तारीख से न्यूनतम तीन मास की अवधि नियत की जाएगी, और इस प्रकार अधिसूचित संकर्म में किसी अधिकार का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से या तो ऐसे अधिकार की प्रकृति विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित सूचना ऐसी अवधि के भीतर कलक्टर को पेश करने की, या उसके समक्ष उपस्थित हो कर ऐसे अधिकारों की प्रकृति कथित करने की, अपेक्षा की जाएगी ।

75. मुख्य अधिनियम की कतिपय धाराओं का लागू होना :— (1) द्वितीय वर्ग सिंचाई संकर्म, धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थ में नगर समझा जाएगा और ऐसे संकर्म को निम्नलिखित धाराएं और भाग ही, जहां तक हो सके, लागू होंगे, अर्थात् :—

धारा 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25क, 25ख, 28, 30, भाग 5, धारा 49 से 56 ख तक (जिसमें दोनों सम्मिलित हों), [धारा 57, भाग (8) धारा 61 की उपधारा (8) को छोड़कर] और भाग 9 ।

(2) पूर्वोक्त धाराएं और भाग, इस भाग के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन होंगे, अर्थात् :—

(i) धारा 16 में "कोई भी" शब्दों के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे :—

"इसमें आगे उपबंधित रूप में तैयार या पुनरीक्षित अधिकार— अभिलेख में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों के अधीन रहते हुए"

(ii) धारा 17 में "यदि कोई" शब्दों के पूर्व "यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(iii) धारा 21 में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(घ) ऐसे निबंधनों पर जल प्राप्त करने का हकदार होगा जो इसमें आगे उपबंधित रूप में तैयार या पुनरीक्षित अधिकार-अभिलेख में विहित किए जाएं ।"

(iv) धारा 22 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसा प्राइवेट इन्तजाम , जल प्राप्त करने के किन्हीं ऐसे अधिकारों पर, जो इसमें आगे उपबंधित रूप में तैयार या पुनरीक्षित अधिकार-अभिलेख में अभिलिखित हैं, कोई प्रभाव नहीं डालेगा ।"

(v) धारा 30 में "किसी भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पत्ति को नहर से जल प्रदाय करने के लिए किया गया प्रत्येक करार" शब्दों के स्थान पर "इसमें आगे उपबंधित रीति में तैयार या पुनरीक्षित अधिकार-अभिलेख में, अभिलिखित किसी भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पत्ति को नहर से

जल प्रदाय करने के सब अधिकार" शब्द रखे जाएंगे ।

उसी धारा के पैरा 2 का लोप कर दिया जाएगा ।

(vi) भाग 5 में, धारा 31 के खंड (ग) के परन्तुक और अन्तिम पैरा का लोप कर दिया जाएगा ।

(vii) भाग 5 में, धारा 34 में "धारा 6, धारा 2" शब्दों और अंकों का लोप कर दिया जाएगा ।

(viii) भाग 9 में, धारा 37 में "48" अंकों के पश्चात् "और भाग 10" शब्द और अंक अंत: स्थापित किए जाएंगे ।

76. अधिकार अभिलेख की विरचना :— (1) धारा 74 के खंड (ग) के अधीन कलक्टर द्वारा नियत अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त नहर अधिकारी जो मामलातकार से नीचे की पंक्ति का राजस्व अधिकारी नहीं होगा, द्वितीय -वर्ग सिचाई संकर्म में किसी अधिकार के दावे की जांच करेगा और उसे तय करेगा, और ऐसे अधिकार का विस्तार अभिलिखित करेगा और प्रशासक द्वारा समय समय पर विहित प्ररूप में सिचाई अधिकार-अभिलेख जहां तक कि वह सरकारी अभिलेख और सम्भावयत: परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य से तथा किसी ऐसे अन्य दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य से जो सम्बद्ध पक्षकारों के पास हैं या जिसे ऐसे पक्षकारों के साक्षी पेश करें, अभिनिश्चित किए जा सकते हैं, तैयार करेगा ।

(2) ऐसे अधिकार-अभिलेख में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा :—

(क) द्वितीय वर्ग सिंचाई संकर्म और उसके समनुषंगी किसी संकर्म की प्रकृति,

(ख) भूमि, जो उससे सींची जा सकती है,

(ग) सिंचाई की रूढ़ि या नियम,

(घ) जल के अधिकार और वे शर्तें जिन पर ऐसे अधिकारों का उपभोग किया जाता है, और

(ङ) ऐसी अन्य बातें जिन्हें प्रशासक नियमों द्वारा इस निमित्त विहित करें ।

77. नहर अधिकारी की शक्तियां :— (1) धारा 76 के अधीन जांचों के प्रयोजनों के लिए ऐसा नहर अधिकारी, स्वयं ही या उस द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, किसी ऐसे संकर्म के पार्श्वस्थ किसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा, और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और मानचित्र बना सकेगा ।

(2) धारा 76 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उस धारा में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी बात के बारे में कोई पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो नहर अधिकारी, जहां तक सम्भव हो, पूर्वोक्त बातों को उस रीति में तय करके अभिलिखित करेगा जैसा वह उचित समझे ।

78. अधिकार-अभिलेख का पुनरीक्षण :— धारा 76 के अधीन तैयार किए गए अधिकार-अभिलेख इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त नहर अधिकारी द्वारा जो मामलातदार की पंक्ति से नीचे का राजस्व अधिकारी नहीं होगा, समय समय पर पुनरीक्षित किए जा सकेंगे ।

79. अधिकारों में परिवर्तन :—यदि कोई नहर अधिकारी, जिसने इस भाग के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार किया है या उसका पुनरीक्षण किया है, यह पाता है कि द्वितीय वर्ग सिंचाई संकर्म के रखरखाव या बंध को सम्यक ध्यान में रखते हुए, अधिकार अभिलेख में अन्तर्विष्ट किसी अधिकार का प्रयोग उस विस्तार तक चालू नहीं रखा जा सकता है जिस विस्तार तक वह उसमें अभिलिखित है तो वह (ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो प्रशासक समय-समय पर इस निमित्त विहित करें) ऐसे अधिकार को पूर्णत: या भागत: परिवर्तित कर सकेगा । ऐसा परिवर्तन वह या तो ऐसे अधिकार के धारक व्यक्ति को उसके बदले में किसी रकम का संदाय करके अथवा भूमि का अनुदान करके अथवा ऐसी किसी अन्य रीति से किया जा सकेगा जो वह ठीक समझे और तदनुसार वह अधिकार अभिलेख पुनरीक्षित करेगा ।

80. प्रशासक की शक्ति जब प्रदाय में वृद्धि करने के लिए संकर्म बनाए जाते हैं :— यदि केन्द्रीय सरकार अपने ही खर्च पर ऐसा कोई संकर्म सन्निर्मित करना चाहती है जिसके द्वारा किसी द्वितीय वर्ग सिंचाई संवर्ग की इस भाग के अधीन अधिकार अभिलेख को तैयार या पुनरीक्षित करते समय प्रदाय की जाने वाली जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो प्रशासक, इस प्रकार अभिलिखित किन्हीं अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेश दे सकता है कि ऐसे अधिशेष जल का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होगा और उसका उपयोग इस रूप में किया जा सकेगा जो प्रशासक ठीक समझे और ऐसे निदेश के अनुसार अधिकार अभिलेख का पुनरीक्षण कर दिया जाएगा ।

81. अधिकार अभिलेख का प्रकाशन :— यदि इस भाग के अधीन कोई अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है या उसका पुनरीक्षण किया जाता है तो वह उस जिले के मामलातदार कार्यालय और पटेलाद कार्यालय में, जिसमें ऐसा संकर्म अवस्थित है तथा ऐसे प्रत्येक शहर और ग्राम में प्रकाशित किया जाएगा जो कलक्टर की राय में ऐसे अधिकार अभिलेख से प्रभावित होता है ।

82. अधिकार अभिलेख में की प्रविष्टियां साक्ष्य के रूप में सुसंगत होंगी :— इस धारा के अधीन तैयार किए गए या पुनरीक्षित किसी अधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टि ऐसे अभिलिखित विषयों की बाबत किसी विवाद में, साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगी और उसे तब तक सत्य माना जाएगा जब तक कि तत्प्रतिकूल कोई बात साबित नहीं कर दी जाती या उसके स्थान पर कोई नई प्रविष्टि विधिपूर्वक प्रतिस्थापित नहीं कर दी जाती :

परन्तु ऐसी किसी प्रविष्टि का अर्वन्वयन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उससे यथा स्थिति, इस भाग द्वारा प्रशासक या केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त कोई शक्ति सीमित हो जाए।

83. कलक्टर को वाद की सूचना का दिया जाना :— (1) ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में जिसमें इस भाग के अधीन तैयार किए गए या पुनरीक्षित किसी अधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टि को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रश्नगत किया गया है, न्यायालय, विवाद्यकों के अन्तिम रूप से निपटारे से पूर्व कलक्टर को ऐसे वाद या कार्यवाही की सूचना देगा और यदि कलक्टर द्वारा ऐसे किए जाने की अपेक्षा करता है तो केन्द्रीय सरकार को ऐसे वाद या कार्यवाही का एक पक्षकार बनाएगा ।

केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध वाद :— (2) जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, कलक्टर, नहर अधिकारी या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो प्रशासक के आदेशों के अधीन कार्यरत है, की गई किसी बात के संबंध में केन्द्रीय सरकार या प्रशासक के विरुद्ध कोई वाद नहीं लगाया जाएगा किन्तु यह तब जब ऐसी कोई बात ऐसे कलक्टर, नहर अधिकारी या अन्य व्यक्ति या प्रशासक को इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में, की गई हो ।

(3) परिसीमा काल :— ऐसा कोई वाद या कार्यवाही, जिसमें इस भाग के अधीन तैयार किए गए या पुनरीक्षित अधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टि प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रश्नगत की गई है, खारिज कर दी जाएगी (भले ही परिसीमा काल को प्रतिरक्षण का आधार नहीं बनाया गया है), यदि वह उक्त प्रविष्टि को अन्तर्विष्ट करने वाले अधिकार-अभिलेख की धारा 81 के अधीन प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर संस्थित नहीं किया गया है अथवा यदि ऐसे अधिकार अभिलेख में किसी प्रविष्टि के निर्देश में किसी नहर अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध एक या अधिक अपीलें की गई हैं तो अन्तिम अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर संस्थित नहीं किया जाता है ।

84. छोटी-छोटी मरम्मतें करने संबंधी बाध्यता :— प्रत्येक द्वितीय वर्ग सिचाई संकर्म में निम्नलिखित कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे जिन पर आगामी धारा द्वारा ऐसा कार्य करने की बाध्यता अधिरोपित की गई है, अर्थात्:—

(1) विशिष्टितः पुश्तों के पृष्ठभाग पर नालियों, गड्ढों और छिद्रों को भरना और बांधों, तालाबों, जल-मार्ग तटों या उक्त द्वितीय वर्ग सिंचाई संकर्म के किन्हीं अन्य भागों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समान प्रकृति की सभी छोटी मरम्मतें ।

(2) ऐसे संकर्म पर नागफनी, छोटे वृक्ष और अन्य वनस्पति की उत्पत्ति को रोकना जिससे कि ऐसे संकर्म की सुरक्षा को या उसकी स्थिति के गुण हो जाने का खतरा हो सकता है ।

(3) ऐसी झाड़ियों और घास का अनुरक्षण, जो ऐसे संकर्म के आन्तरिक जल ढलान की संरक्षा के लिए लगाए गए हैं ।

(4) स्लूसों, प्रदाय और वितरण जल मार्गों से मिट्टी की सफाई ;

(5) विनष्ट वीयरों और विनष्ट जलमार्गों की सफाई।

85. बाध्यता का आपत्तन :— अन्तिम पूर्वगामी धारा द्वारा विहित मरम्मतें करने की बाध्यता, ऐसे संकर्म से सिंचित किसी भूमि के निर्देश में, अन्य संक्रान्त न की गई भूमि के मामले में, ऐसी भूमि के अधिभोगियों पर संयुक्ततः और पृथकतः अधिरोपित की गई समझी जाएगी और अन्य सभी भूमियों के मामले में ऐसी अन्य भूमियों के धारकों पर दोनों ही दशाओं में भू-राजस्व विनियम में यथा परिभाषित रूप में, अधिरोपित की गई समझी जाएगी ।

86. अधिकारों और दायित्वों को प्रवृत्त कराने की शक्ति :— यदि कोई व्यक्ति, जिस पर इस भाग के किसी उपबंध द्वारा किसी द्वितीय वर्ग संचयी संकर्म के निर्देश में, कोई बाध्यता अधिरोपित की गई है, इस प्रकार अधिरोपित बाध्यता का पालन करने में असफल रहता है अथवा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप में तैयार किए गए या पुनरीक्षित अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किसी अधिकार का कोई व्यक्ति अतिलंघन करता है तो नहर अधिकारी सूचना देकर ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह पन्द्रह दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विहित की जाए, ऐसी बाध्यता का पालन कर दे अथवा ऐसे अधिकार का अतिल्लंघन बंद कर दे और यदि ऐसा करने में ऐसा व्यक्ति असफल रहता है तो नहर अधिकारी उक्त बाध्यता के पालन के लिए अथवा उक्त अधिकार के प्रवर्तन के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और इस कर्त्तव्य पर उपगत व्यय की रकम केन्द्रीय सरकार को शोध्य राशि होगी और वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

87. "मरम्मत करने में असफल रहने की दशा में रिपोर्ट करने का संरपंच का कर्त्तव्य :— किसी ऐसे ग्राम के, जिसकी परिसीमाओं के भीतर द्वितीय वर्ग सिंचाई संकर्म अथवा ऐसे संकर्म का कोई भाग स्थित है, सरपंच का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 84 में विनिर्दिष्ट कोई मरम्मत, करने में असफल रहने या उपेक्षा करने की बाबत रिपोर्ट मामलातदार को अविलम्ब करे ।

88. लोक सेवकों और कुछ अन्य व्यक्तियों का विधिक कार्यवाहियों के विरुद्ध संरक्षण :— इस भाग या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक या इस भाग के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी ।

89. नियम बनाने की शक्ति :— (1) प्रशासक समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के संबंध में नियम बना सकता है;

(i) अधिकार अभिलेख तैयार करना और उसके पुनरीक्षण की रीति ;

(ii) ऐसे किसी अधिकारी की कार्यवाहियां जिससे इस भाग के उपबंधों के अधीन किसी विषय में कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है –

(iii) इस भाग के उपबन्धों का सामान्यतः अनुपालन।

(2) लोप कर दिया गया ।

(3) लोप कर दिया गया ।

90. लोप कर दिया गया ।

91. लोप कर दिया गया ।

भाग—12

नलकूपों उत्स्रुत कूपों और वैध कूपों के सन्निर्माण और रखरखाव को विनियमित करने के लिए विशेष उपबंध ।

92. परिभाषाएं :—इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "उत्स्रुत कूप" से ऐसा कोई कूप अभिप्रेत है जिसके जरिए उत्स्रुत या पोस्टिक जल, जिसका दाब सम्मोचन स्तर भूमि से ऊपर है, निकाला जाता है;

(ख) "वैध कूप" से ऐसा कोई कूप अभिप्रेत है जो किसी कठोर चट्टानी क्षेत्र में खोदा गया है जहां ऐसा वैध बिना किसी सहायता के बना रहता है और जहां पाइपों का अस्तरण आवश्यक नहीं है तथा इसके अन्तर्गत उत्खान एवं वैध कूप भी है;

(ग) "भौम जल" से भूमि की सतह के नीचे का जल उस भूवैज्ञानिक संरचना के अपेक्षितः, अभिप्रेत है जिसमें वह स्थिर या अस्थिर है, और इसके अंतर्गत सभी भौम जलाशय भी है;

(घ) "विहित" से धारा 101 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "प्रादेशिक नहर अधिकारी" से प्रशासक द्वारा राजपत्र में निकाली गई किसी अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई नहर अधिकारी अभिप्रेत है जिसका कार्य उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इस भाग के अधीन प्रादेशिक नहर अधिकारी के कृत्यों का पालन है;

(च) "नलकूप" से जल युक्त स्तरों की पारगम्य परत या परतों की अवलियों में से जल निकालने के प्रयोजन के लिए भूमि में खोदा गया कोई गहरा वैध है ।

93. लोप कर दिया गया ।

94. नलकूप आदि की संरचना और रख-रखाव संबंधी विनियम :—भू राजस्व विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी किसी भूमि का जो उक्त विनियम के अर्थान्तर्गत कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित या धारित है (जिसे इस भाग में आगे कृषि भूमि कहा गया है) कोई धारक दादर और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्रों को यथा विस्तारित इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, 45 मीटर से अधिक गहरा । कोई नलकूप उत्स्रुत कूप या वैध कूप भौम जल निष्कर्षित करने के लिए तभी सन्निर्मित करेगा या कराएगा या किए जाने की अनुज्ञा देगा जब कि वह धारा 95 के और धारा 101 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के (जिनके अंतर्गत ऐसे कूप के रख-रखाव संबंधी शर्तें भी हैं) अनुसार है, अन्यथा नहीं ।

95. अनुज्ञप्ति देना .—(1) यदि किसी कृषि भूमि का कोई धारक भौम जल निष्कर्षित करने के लिए 45 मीटर से अधिक गहरा कोई नलकूप उत्स्रुत कूप या वैध कूप सन्निर्मित करना चाहता है तो वह संबंधित अनुज्ञप्ति दी जाने की अधिकारिता को रखने वाले प्रादेशिक नहर अधिकारी को आवेदन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी और उसके साथ ऐसी फीस दी जाएगी जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्रादेशिक नहर अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, और उसे क्षेत्र में भौम जल की उपलब्धता तथा क्वालिटी और कूपों की सघनता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यथास्थिति, नलकूप उत्स्रुत कूप या वैध कूप सन्निर्मित करने का प्रस्ताव है, तथा ऐसी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए जो संबंधित मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हैं, आवेदित अनुज्ञप्ति दी जाने या दिए जाने से इंकार करने का आदेश कर सकेगा।

परन्तु अनुज्ञप्ति देने से इन्कार करने से पूर्व आवेदक को इस विषय में सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि प्रादेशिक नहर अधिकारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर आवेदन के संबंध में अपना विनिश्चय आवेदक को सूचित नहीं करता है तो अनुज्ञप्ति आवेदक को अनुदत्त कर दी गई समझी जाएगी ।

(4) अनुदत्त की गई या उपधारा (3) के अधीन अनुदत्त समझी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, विहित प्रारूप में होगी

और वह, उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के, जिनके अंतर्गत वे शर्तें भी हैं जो कूप को सलग्न रखने के संबंध में हैं, अधीन होगी ।

96. विद्यमान नलकूप आदि का विनियम :—जहां कोई नलकूप, उत्स्रुत कूप या वैध कूप, दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रों को यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय किसी कृषि भूमि में विद्यमान है, और ऐसे कूप की गहराई पैंतालीस मीटर से अधिक है, वहां कृषि भूमि का धारक ऐसे प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर, विहित प्ररूप में कूप की बाबत जानकारी, अधिकारिता रखने वाले प्रादेशिक नहर अधिकारी को देगा और सूचना प्राप्त होने पर यदि प्रादेशिक नहर अधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रारंभ होने के समय कूप विद्यमान था, तो वह भूमि के धारक को विहित प्ररूप में इस आशय का एक प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा कि उक्त कूप प्रारंभ के समय विद्यमान था ।

97. अनुज्ञप्ति का रद्द किया जाना :—यदि प्रादेशिक नहर अधिकारी का या तो उसे इस निमित्त किए गए निदेश पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि—

(क) धारा 95 के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति, कपट या किसी अत्यावश्यक तथ्य के दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई या है, या

(ख) अनुज्ञप्ति धारक युक्तियुक्त कारण के बिना उन निबंधनों और शर्तों का जिनके अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई, अनुपालन करने में असफल रहा है , या उसने इस भाग के किसी भी उपबंध का या धारा 101 के अधीन बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन किया है तो किसी अन्य शयस्ति पर, जिसका अनुज्ञप्ति धारक इस भाग के अधीन दायी हो सकता है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रादेशिक नहर अधिकारी हैतुक दर्शित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है ।

98. अपील (1) प्रादेशिक नहर अधिकारी द्वारा धारा 95 या धारा 97 या धारा 99 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, विहित अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील विहित प्राधिकारी को कर सकता है और ऐसी अपील पर विहित प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ न्यायालय फीस के रूप में उतने मूल्य के स्टाम्प होंगे जितने मूल्य के विहित किए जाएं ।

99. जल के उपयोग का विनियम :—(1) पैंतालीस मीटर से अधिक गहरे नलकूप, उत्स्रुत कूप या वैधकूप वाली कृषि भूमि का कोई भी धारक ऐसे कूप से जल का उपयोग न तो कृषि या पीने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करने देगा और न उसे निस्स्रावी खोल, पाइप फिटिंग, वाल्व या पम्प से भूमि की सतह के ऊपर या नीचे व्यर्थ बहने देगा और न किसी भी अन्य कारण से व्यर्थ नष्ट होने देगा;

परन्तु ऐसा धारक ऐसे कूप से जल का उपयोग कृषि या पीने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करने के लिए उस दशा में अनुज्ञात कर सकता है जब प्रशासक के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक नहर अधिकारी ने अपने आदेश द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए जल का उपयोग करने की अनुज्ञा दे दी हो ।

(2) यदि प्रादेशिक नहर अधिकारी की यह राय है कि पैंतालीस मीटर से अधिक गहरे किसी नलकूप, सत्स्रुत कूप या वैधकूप से जल का उपयोग कृषि या पीने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए बिना उसके आदेशों के किया जाता है या वह व्यर्थ बहने दिया जाता है तो वह उस कृषि भूमि के धारक को, जिसमें ऐसे कूप स्थित है, कम से कम तीस दिन की सूचना दे कर उससे आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस कूप को अपने खर्च पर और ऐसी रीति में बंद या सील कर दें जैसा प्रादेशिक नहर अधिकारी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे और कृषि भूमि का धारक ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा ।

(3) यदि कृषिभूमि का धारक उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो प्रदेशिक नहर अधिकारी भूमि के धारक को इस निमित्त सूचना देकर, भूमि पर प्रदेश कर सकता है और कूप को बंद या सील कर सकता है और उस पर हुआ खर्च भू-राजस्व की बकाया के रूप में, वसूल कर सकता है ।

100. शास्ति :—यदि कोई व्यक्ति धारा 94 या धारा 96 के उपबंधों या नलकूपों के संनिर्माण या बनाए रखने की बाबत धारा 101 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या धारा 96 के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किसी भी निबंध या शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह, दोषसिद्ध पर करावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

101. नियम बनाने की शक्ति :—राज्य सरकार, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, बना सकती है ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के बारे में उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :—

(1) अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए धारा 95 के अधीन आवेदन का प्ररूप, ऐसे आवेदन में उल्लिखित

की जाने वाली विशिष्टियां और ऐसे आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस ;

(ख) धारा 95 के अधीन अनुदत्त की जाने वाली अनुज्ञप्ति का प्ररूप ;

(ग) वह प्ररूप जिसमें कृषि भूमि के धारक द्वारा धारा 96 के अधीन जानकारी दी जा सकती है और उस धारा के अधीन किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप ;

(घ) वह प्राधिकारी जिसे धारा 98 के अधीन अपील की जा सकती है, वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अपील की जाएगी और ऐसी अपील पर न्यायालय-फीस के रूप में लगाए जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य ;

(ङ) पैंतालीस मीटर से अधिक गहरे नलकूपों, उत्खृत कूपों या वेधकूपों के संनिर्माण की रीति;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जा सकता है ।

[यू०-11015/6/83-यू०टी०एल०(153)]
आर० वी० पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd November, 1983.

NOTIFICATION

G.S.R. 858(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Bombay Irrigation Act, 1879 (Bombay Act No. VII of 1879), as in force in the State of Gujarat on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

Modifications

1. Throughout the Act, unless otherwise directed, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which the words "State Government" occur, such consequential changes as the rules of grammer may require;

2. In section 1,—

(a) for the words "Bombay area of the State of Gujarat", the words "Union territory of Dadra and Nagar Haveli", shall be substituted.

(b) Proviso to section 1 shall be omitted.

3. In section 3,—

(i) clause (1) shall be re-numbered as clause (1A) and before clause (1A) as so re-numbered, the following shall be included as clause (1) namely :—

'(1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, appointed by the President under article 299 of the Constitution;

(ii) In sub-section (1A) as so re-numbered,—

(a) In clause (a), for the words "any Government", the word "the Administrator" shall be substituted;

(b) In clause (e), for the word "Government", occurring for the first time, the words "Central Government" shall be substituted; and for the words "any Government", the word "the "Administrator" shall be substituted;

(iii) In sub-section (2), for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted;

(iv) In sub-section (3), for the words "any Government" the words "the Administrator" shall be substituted;

(v) In sub-section (4), for the words "any Government", the words "the Administrator" shall be substituted;

(vi) For sub-section (10), the following shall be substituted namely :—

'(10) "The Land Revenue Regulation" means the Dadra and Nagar Haveli Revenue Administration Regulation, 1971'.

4. After section 4, the following explanation shall be inserted, namely :—

Explanation.—In this section, the expression "Servant of Government" or "Government Officer" shall mean a person or an Officer employed in connection with the administration of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

5. In section 5, for the words "State Government" occurring for the second time, the words "Central Government" shall be substituted.

6. In section 20C, in clause (c) for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

7. In seciton 20E, in sub-section (2), for the words "State Government" the words "Central Government" shall be substituted.

8. In section 25, for the words "State Government" wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted.

9. In section 25A, in sub-section (2), for the words "State Government" wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted.

10. In section 31, in sub-clause (1) of clause (d) of the proviso, for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

11. In section 37, for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

IndiaCode

12. In section 42, for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

13. In section 44, for the words "State Government" occurring for second time, the words "Central Government" shall be substituted.

14. In sections 48 and 48-A, for the words "two hundred yards" wherever they occur, the words "one hundred and eighty five metres" shall be substituted.

15. In section 51 for the words "Land Revenue Code", the words "Land Revenue Regulation" shall be substituted.

16. In section 53, in sub-section (2), for the words "Land Revenue Code", the words "Land Revenue Regulation" shall be substituted.

17. In section 56, for the words "State Government" occurring for the second time, the words "Central Government" shall be substituted.

18. In section 56A, in the proviso, for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

19. In section 56B, for the words "State Government" occurring for the second time, the words "Central Government" shall be substituted.

20. In section 57,—

(a) In sub-section (2), for the words and figure "section 150 of the Land Revenue Code" wherever they occur, the words and figure "section 167 of the Land Revenue Regulation" shall be substituted.

(b) In sub-section (4),—

(i) in clause (a), for the words "State Government" wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted; and

(ii) in clause (b), for the words "Land Revenue Code", the words "Land Revenue Regulation" shall be substituted.

21. In section 70, sub-sections (2) and (3) shall be omitted.

22. In section 73,—

(i) In sub-section (1), in clause (a), for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted; and

(ii) In sub-section (2), the words "at the Mamlatdar's Office of the taluka" shall be omitted.

23. In section 76, in sub-section (1) for the words "Mahalkari", the word "Mamlatdar" shall be substituted.

24. In section 78, for the word "Mahalkakri", the word "Mamlatdar" shall be substituted.

25. In section 80, for the words "State Government" occurring for the first and third time, the words "Central Government" shall be substituted.

26. In section 81, for the words "of the taluk , the words "and Patelad Office" shall be substituted.

27. In section 82, in the proviso, for the words "State Government" the words "Administrator, or, as the case may be, the Central Government" shall be substituted.

28. In section 83,—

(i) in sub-section (1), for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the words "State Government" occurring for the first time, the words "Central Government or the Administrator" shall be substituted.

29. In section 85, for the words "Land Revenue Code", the words "Land Revenue Regulation" shall be substituted.

30. In section 86, for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

31. In section 87, for the word "Patel", the word "Sarpanch" shall be substituted.

32. In section 89, sub-sections (2) and (3) shall be omitted.

33. Sections 90 and 91 shall be omitted.

34. Section 93 shall be omitted.

35. In section 94,—

(i) for the words "Bombay Land Revenue Code", the words "Land Revenue Regulation" shall be substituted;

(ii) for the words "said Code" the words "said Regulation" shall be substituted; and

(iii) for the words and brackets "The Bombay Irrigation (Gujarat Amendment) Act, 1976", the words "this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted.

36. In section 96, for the words and brackets "The Bombay Irrigation (Gujarat Amendment) Act, 1976", the words "this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted.

37. In section 101, sub-sections (3) and (4) and the Schedule shall be omitted.

38. The Schedule shall be omitted.

ANNEXURE

The Bombay Irrigation Act, 1879 (Bombay Act No. VII of 1879) as in force in the state of Gujarat and extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli

Preamble.—An Act to provide for Irrigation in the Bombay Presidency.

Whereas it is necessary to make provision for the construction, maintenance and regulation of canals, for the supply of water therefrom and for the levy of rates for water so supplied, in the Bombay Presidency; it is enacted as follows :—

PART I

Preliminary

1. Short title.—This Act may be called the Bombay Irrigation Act, 1879.

Local extend.—It extends to the whole of Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

2. Omitted.

3. Interpretation clause.—In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context,—

(1) "administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(1A) "canal" includes—

(a) all canals, channels, pipes and reservoirs constructed, maintained or controlled by the Administrator for the supply or storage of water;

(b) all works, embankments, structures and supply and escape cannels connected with such canals, channels, pipes or reservoirs, and all roads constructed for the purpose of facilitating the construction or maintenance of such canals, channels, pipes or reservoirs;

(c) all water-courses, drainage-works and flood embankments as hereinafter respectively defined;

(d) any part of a river, stream, lake, natural collection of water or natural drainage-channel, to which the Administrator may apply the provisions of section 5, or of which the water has been applied or used before the passing of this Act for the purpose of any existing canal;

(e) all land belonging to the Central Government which is situated on a bank of any canal as hereinbefore defined, and which has been appropriated under the orders of Administrator for the purposes of such canal;

(2) "water-course" means any channel or pipe not maintained at the cost of the Central Government which is supplied with water from a canal, and includes all subsidiary works connected with any such channel or pipe, except the sluice or outlet through which water is supplied from a canal to such channel or pipe;

(3) "drainage-work" means any work in connection with a system of irrigation or reclamation made or improved by the Administrator for the purpose of the drainage of the country, whether under the provisions of section 15 or otherwise, and includes escape channels from a canal, dams, weirs, embankments, sluices, groins and other works connected therewith, but does not include works for the removal of sewage from towns;

(4) "flood-embankment" means any embankment constructed or maintained by the Administrator in connection with any system of irrigation or reclamation works for the protection of lands from inundation or which may be declared by the Administrator to be maintained in connection with any such system, and includes all grains, spurs dams and other protective works connected with such embankments;

(4A) "bandhara" means any structure permanent or otherwise constructed or maintained for the purpose of impounding or diverting water of any river, stream, lake or any natural collection of water and includes any weirs, sluices, head walls, groins or any other works connected with such bandhara;

(5) "Collector" includes any officer appointed by the Administrator to exercise all or any of the powers of a Collector under this Act;

(6) "Canal-officer" means any officer lawfully appointed or invested with powers under section 4;

(6A) "Lands under irrigable command of a canal" means such lands as are irrigated or capable of being irrigated from the canal, being under its command and shall include also such lands as are or shall be deemed to be irrigated within the meaning of section 48;

(7) "owner" includes every person having a joint interest in the ownership of the thing specified; and all rights and obligations which attach to an owner under the provisions of this Act shall attach jointly and severally to every person having such joint interest in the ownership;

(8) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(9) "the Land Acquisition Act" means the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894);

(10) "the Land Revenue Regulation" means the Dadra and Nagar Haveli Revenue Administration Regulation, 1971 (Bom. V of 1879)

4. Appointment of Canal officers.—The Administrator or, subject to such orders as may from time to time be passed by the Administrator, any servant of the Government whom the Admnistrator empowers in this behalf, may—

(a) appoint such officers with such designations, and assign to them respectively such powers and duties, under this Act, as the Administrator or such officer may deem fit;

(b) invest any Government Officer, in any department, either personally, or in right, of his office, or any other person with such powers, and impose upon him such duties, under this Act, as the Administrator or such officer may deem fit;

Provided that any assignment of, or investment with, powers or duties made under this section may at any time be cancelled or varied by the authority who made it.

Explanation : In this section, the expression "Servant of Government" or "Government Officer" shall mean a person or an Officer employed in connection with the Administration of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

PART II

Of the construction and maintenance of canals.

Application of Water or Purposes of Canals

5. Notification when water supply to be applied for purposes of canal.—Whenever it appears expedient to the Administrator that the water of any river or stream flowing in a natural channel, or of any lake or any other natural collection of still water, should be applied or used by the Central Government for the purpose of any existing or projected canal, the Administrator may, by notification in the Office Gazette, declare that the said water will be so applied or used after a day to be named in the said notification, not being earlier than three months from the date thereof.

Powers of entry on Land, etc.

6. Powers of Canal officers for purpose of so applying water supply.—At any time after the day so named any Canal-officer duly empowered in this behalf may enter on any land, remove any obstruction, close any channel and do any other thing necessary for such application or use of the said water, and for such purpose may take with him, or depute or employ, such subordinates and other persons as he deems fit.

7. Entry for inquiry.—Whenever it shall be necessary to make any inquiry or examination in connection with a projected canal, or with the maintenance of an existing canal, any Canal-officer duly empowered in this behalf, and any person acting under the general or special order of any such Canal-officer, may—

(a) enter upon such land as he may thing necessary for the purpose, and

(b) exercise all powers and do all things in respect of such land as he might exercise and do if the Administrator had issued a notification under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, to the effect that land in that locality is likely to be needed for a public purpose, and

(c) set up and maintain water-gauges and do all other things necessary for the prosecution of such inquiry and examination.

8. Power to inspect and regulate water supply.— y Canal-officer duly empowered in this behalf, and any person acting under the general or special order of any such Canal-officer, may enter upon any land; building or water course, on account of which any water rate is chargeable, for the purpose of inspecting or regulating the use of the water supplied, or of measuring the land irrigated thereby or chargeable with a water-rate, and of doing all things necessary for the proper regulation and management of the canal from which such water is supplied.

9. Power to enter for repairs and to prevent accidents.—In case of any accident being apprehended or happening to a canal, any Canal-officer duly empowered in this behalf, and any person acting under the general or special order of any such Canal-officer, may enter upon any land adjacent to such canal, and may take trees and other materials, and execute all works, which may be necessary for the purpose of preventing such accident or repairing any damage done.

10. Notice to occupier of building etc.—When a Canal-officer or other person proposes, under the provisions of any of the three last preceding sections, to enter into any building or enclosed court or garden attached to a dwelling-house, not supplied with water from a canal, and not adjacent to a food-embankment, he shall previously give to the occupier of such building, court or garden, such reasonable notice as the urgency of the case may allow.

Canal Crossings

11. Means of crossing canals to be provided and obstruction to drainage to be avoided.—Suitable means of crossing canals shall be provided at such places as the Administrator thinks necessary for the reasonable convenience of the inhabitants of the adjacent land, and suitable bridges, culverts or other works shall be constructed to prevent the drainage of the adjacent land being obstructed by any canal.

Removal of Obstructions to Drainage

12. Administrator may prohibit formation of obstructions of rivers, etc., within certain limits.—Whenever it appears to the Administrator that injury to the public health, or public convenience, or to any canal or to any land for which irrigation from a canal is available, has arisen or may arise from the obstruction of any river, stream or natural drainage-course, the Administrator may, by notification published in the Official Gazette, prohibit, within limits to be defined in such notification, the formation of any such obstruction, or may, within such limits, order the removal or other modification of such obstruction.

Thereupon so much of the said river, stream or natural drainage channel, as is comprised within such limits, shall be, held to be a drainage work as defined in section 3.

13. Canal-officer may issue order to person causing obstruction.—Any Canal-officer duly empowered in this behalf may, after such publication, issue an order to any person causing or having control over any such obstruction to remove or modify the same within a time to be fixed in such order.

14. Canal-officer may cause obstruction to be removed.—If within the time so fixed, such person does not comply with the order, the canal-officer may cause the obstruction to be removed or modified; and if the person to whom the order was issued does not, when called upon, pay the expenses of such removal of modification such expenses shall be recoverable by the Collector as an arrear of land-revenue.

Construction of Drainage-works

15. When drainage-works are necessary, Administrator may order scheme to be carried out.—Whenever it appears to the Administrator that any drainage-work is necessary for the public health or for the improvement of the proper cultivation or irrigation of any land, or that protection from floods or other accumulations of water, or from erosion by a river, is required for any land, the Administrator may cause a scheme for such work to be drawn up and carried into execution.

and the person authorised by the Administrator to draw up and executs such scheme may exercise in connection therewith the powers conferred on Canal-officers by sections 7, 8 and 9, and shall be liable to the obligations imposed upon Canal-officer by sections 10 and 34.

PART III

Of Water-Courses

Obligation regarding construction of water-courses

15-A. Obligation of holder of land to construct water-course.—It shall be the duty of very holder of land which is capable of being irrigated from a canal to construct either by himself or jointly with other holders of lands capable of being irrigated from the canal, a water-course in the prescribed manner for the carriage of water from the canal to his land.

16. Construction of new water-courses by private arrangement.—Any person may, with the permission of a Canal-officer duly empowered to grant such permission, construct a new water-course if he has obtained the consent of the holder of the land required therefor.

17. Application for construction by Canal-officer of new water-course.—Any person desiring to construct a new water-course, but being unable or unwilling to construct it under a private arrangement with the holder of the land required for the same, may apply, in writing to any Canal-officer duly empowered to receive such applications, stating :—

(1) that he is ready to defray all the expenses necessary for acquiring the land and constructing such water-course ;

(2) that he desires the said Canal-officer in his behalf and at his cost to do all things necessary for constructing such water-course.

18. Procedure when Canal-officer considers construction of water-course expedient.—If the Canal-officer considers the construction of such water-course expedient he may call upon the applicant to deposit an part of the expense such officer may consider necessary,

and upon such deposit being made shall cause inquiry to be made into the most suitable alignment for the said water-course,

and shall mark out the land which, in his opinion, it will be necessary to occupy for the construction thereof,

and shall forthwith publish a notification in every village throgh which the water-course is proposed to be taken, that so much of such land as is situated within such village has been so marked out,

and shall send a copy of such notification to the Collector of every district in which such land is situated, for publication on such land,

Application by person wishing to be joint owner.—The said notification shall also call upon any person who wishes to share in the ownership of such water-course to make his application in that respect to the Canal-officer within thirty days of the publication of such notification.

If application admitted, applicant liable for share of cost.—If any such applicant appears, and his application is admitted, he shall be liable to pay his share in the construction of such water-course, and in the cost of acquiring the land for the same, and shall be an owner of such water-course when constructed.

19. Collector to acquire land.—On receipt of copy of such notification, the Collector shall proceed to acquire such land under the provisions of the Land Acquisition Act, as if a declaration had been issued by the Administrator for the acquisition thereof under section 6 of that Act, and as if the Administrator had thereupon directed the Collector to take order for the acquisition of such land under section 7 of the said Act, and if necessary as if the Administrator had issued orders for summary possession being taken under section 17 of the said Act.

20. Procedure after construction of water-courses.—On being put in possession of the land, the Canal-officer shall construct the required water-course; and on its completion shall give to the owner notice thereof, and of any sum payable by him on account of the cost of acquiring the land and constructing the water-course. On such notice being given, such sum shall be due from the owner to the Canal-officer. On receipt of payment in full of all expenses incurred, the Canal-officer shall make over possession of such water-course to such owner.

Scheme for construction of water-courses

20-A. Scheme for construction of water-course.—(1) If in respect of any area in which lands are capable of being irrigated from a canal, the Canal-Officer specially empowered in this behalf by the Administrator (hereinafter referred to as "the authorised Canal-officer") is of the opinion that in the absence of water-courses, the irrigation of such lands has not been possible or has suffered or is likely to suffer

and that in the public interest it is necessary to frame a scheme providing for the construction of water-courses in such area, he shall prepare a draft scheme for such area.

(2) Such draft scheme shall contain the following particulars, namely :—

(i) the object of the scheme ;

(ii) the area to which the scheme is applicable;

(iii) the proposed water-course and the most suitable alignment thereof;

(iv) the area which is likely to be needed for construction of the proposed water-course and the plan indicating such area ;

(v) survey numbers and acreage of each of the lands to be benefited by the water-course and the names of the holders thereof ;

(vi) period within which each holder of the land mentioned in item (v) should construct either by himself or jointly with other holders the water-course for the carriage of the water from the canal to his land ;

(vii) appropriate cost of the acquisition of land, if any, to be occupied by the water-course;

(viii) approximate cost of the construction of the water-course (including the cost of the acquisition of the land, if any), in case the holders of land fail to come forward to construct the water-course ;

(ix) the extent of the liability of each holder of land to construct the water-course, and in the event of the holder not intimating under clause (d) of sub-section (5) that he is willing to construct the water-course himself or jointly with others or intimating that he is not willing to do so, the extent of the liability of such holder of land to pay the cost of the construction of the water-course ;

(x) such other particulars as may be prescribed by rules.

(3) The authorised Canal-officer shall also mark out the land which it will be necessary to occupy for the construction of the water-course.

(4) The authorised Canal-officer shall publish the draft scheme in the prescribed manner in every village, through which the water-course is proposed to be taken alongwith a notice calling upon all holders of land and other persons affected by the scheme to submit to him in writing their suggestions or objections, if any, within a period of thirty days from the date of the publication of the draft scheme.

(5) As soon as may be after expiry of the period of notice under sub-section (4), the authorised Canal-officer shall after considering the suggestions and objections, if any, received under sub-section (4), —

(a) sanction the draft scheme with or without modifications,

(b) publish the sanctioned scheme in such manner as may be prescribed by rules,

(c) send a copy of the sanctioned scheme so published to the Collector,

(d) issue notice in the prescribed form and manner to each holder of the land mentioned in the sanctioned scheme, requiring the holder to intimate the Canal-officer in writing, within one week from the receipt of the notice his willingness to construct by himself or jointly with other holders the water course for the carriage of water from the canal to his land.

(6) The scheme sanctioned under sub-section (5) shall be called the final scheme and shall be binding on all holders of land mentioned therein and all other persons affected thereby.

(7) Land needed for the purpose of a scheme so sanctioned shall be deemed to be needed for a public purpose within the meaning of the Land Acquisition Act.

20B. Collector to acquire land needed for water-courses.—(1) On receipt of a copy of the sanctioned scheme published under sub-section (5) of section 20A, the Collector shall proceed to acquire the lands specified in that scheme as land needed for the construction of a water-course, under the provisions of the Land Acquisition Act, and to take possession of such lands as if a declaration had been issued by the Administrator for the acquisition thereof under section 6 of that Act and as if the Administrator had thereupon directed the Collector to take order for the acquisition of such land under section 7 of the said Act and as if the Administrator had issued orders for summary possession being taken under section 17 of the said Act.

(2) When possession of the land is taken in accordance with sub-section (1), the authorised Canal-officer shall be put in possession thereof by the Collector.

(3) The amount of the cost of acquisition of the land shall be apportioned by the Collector among the holders of land specified in the final scheme and in accordance with the extent of their liability determined under the final scheme.

20C. Authorised Canal-officer to construct water-course.—On being put in possession of the land under sub-section (2) of section 20B, the authorised Canal-officer shall —

(a) give notice to each holder of land who has expressed, under clause (d) of sub-section (5) of section 20A, his willingness to construct the water-course within the period specified in the final scheme and in the prescribed manner calling upon him to construct the water-course in his land to the extent to which he may be liable to do so under the final scheme ;

(b) proceed to construct the water-course in the land to which clause (a) does not apply in accordance with the final scheme at the cost of the holder of such land; and

(c) require the holder of the land concerned to pay to the Central Government, in a case where the land to be occupied by the water-course or any part thereof has been acquired by Government under section 20B, such sum as may be payable by him in accordance with the apportionment of the cost of acquisition of the land made under the final scheme.

20D. Canal-officer to construct water-course.—If an holder of land to whom a notice is given under section 20C fails to construct the water-course within the period specified in the final scheme, the authorised Canal-officer shall construct the same at the cost of such holder.

20E. Consequences of completion of construction of water-course.—(1) When the construction of the whole of the water-course mentioned in the final scheme is completed the authorised Canal-officer shall—

(i) issue a certificate to that effect in the prescribed form, and

(ii) by order in writing transfer the land acquired under section 20B and occupied by the water course to all holders of land benefited by the water-course and thereupon the land so transferred shall, along with the water-course constructed thereon, jointly vest in all such holders and the provisions of sections 21 to 25 (both inclusive) shall apply to such holders as they apply to the owner of a water-course.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect the right of the Central Government to recover the cost of the acquisition of land under section 20B and the cost of the construction of the water-course payable by any holder of land under the final scheme.

20F. Mode of payment of cost of construction of water-course, etc.—(1) The cost of the acquisition of any land and the cost of the construction of the water-course payable by any holder of land under the final scheme shall, on a notice issued by the authorised Canal-officer in that behalf, be paid by such holder,—

(i) either in lump sum within the prescribed period, or

(ii) in such instalments not exceeding five with simple interest at 4 1|2 per cent per annum on or before such dates as may be fixed by the authorised Canal-officer.

(2) Where the holder of land has carried out some work for the construction of the water-course or donated land for being occupied by the water-course, the authorised Canal-officer shall determine the value of the work so carried out, or, as the case may be the value of the land so donated and the value so determined shall be deducted from the cost payable by the holder under sub-section (1).

Rights and obligations of owners of Water-courses

21. Obligations of owner of water-courses.—Every owner of a water-course shall be bound —

(a) to construct and maintain all works necessary for the passage across such water-course, of canals, water-courses, drainage-channels and public roads existing at the time of its construction, and of the drainage intercepted by it and for affording proper communications across it for the convenience of the occupants of neighbouring lands ;

(b) to maintain such water-course in a fit state of repair for the conveyance of water;

Rights of owners and users of water-courses.—

(c) to allow the use of it to others or to admit other persons as joint owners thereof on such terms as may be prescribed under the provisions of section 23;

and every owner of a water-course and every person duly authorised under the provisions hereinafter contained to use a water-course shall be entitled —

(d) to have a supply of water by such water-course, at such rates and on such terms, as may from time to time be prescribed under section 44 and by the rules made by the Administrator under section 70 ;

Provided always that any owner of a water-course, and, subject to the terms of any agreement between the parties, or to any condition imposed under section 23, any such person as aforesaid may at any time, by giving three months' previous notice in writing in this behalf to a Canal-officer duly empowered to receive such notices, resign his interest in such water-course.

22. Arrangement with owner by other person.—Any person desiring to have a supply of water through a water-course of which he is not an owner may make a private arrangement with the owner for permitting the conveyance of water thereby, or may apply to a Canal-officer duly empowered to receive such applications for authority to use such water-course or to be declared a joint owner thereof.

23. Canal-officer after inquiry may authorise supply or declare applicant to be joint owner.— On receipt of any such application, the Canal-officer shall serve notice on the owner to show cause why such authority should not be granted, or such declaration should not be made, and, if no objection be raised, or if any objection be raised and be found insufficient or invalid, shall, subject to the approval of the Collector, either authorize the applicant to use the water-course, or declare him to be a joint owner thereof on such conditions as to the payment of compensation or rent or otherwise as may appear to him equitable.

24. Use of land acquired for water-course for other purpose.—No land acquired under this Part for a water-course and no land occupied by water-course constructed under section 92, shall be used for any other purpose without the previous consent of a Canal-officer duly empowered to grant such permission.

25. If owner fails to execute work or to repair water-course, Canal-officer may execute same.—If any owner of a water-course fails to fulfil any obligation imposed upon him by clause (a) or (b) of section 21, then —

(a) any Canal-officer duly empowered in this behalf may require him by a notice to execute the necessary work or repair within a period of not less than fifteen days to be specified in the notice, and in the event of failure of the owner to do so, may execute the same on his behalf ;

(b) where such Canal-officer is satisfied that for maintaining in uninterrupted flow of water through the water-course or for maintaining the rotation of water in the water-course, it is necessary to take immediate action, to execute the necessary work or repair, he may without giving such notice to the owner execute such work or repair on behalf of the owner,

and except as hereinafter provided in this section, all expenses incurred in the execution of such work or repair shall be a sum due by such owner to the Central Government.

Persons using water-course to pay share of expenses of repair.—Every person other than an owner who uses any water-course in respect of which any repairs has been executed by a Canal-officer under this section shall, in the absence of any agreement between the parties of any condition imposed under section 23 at the time such person was authorized to use such water-course to the contrary be liable to pay to the Central Government such proportion of the expenses incurred in the execution of such repairs as shall be determined by the said Canal-officer.

Bandharas

25A. obligation to repair bandharas situated in alienated lands and villages and talukdari villages.—(1) Save as otherwise provided in sections 84 and 85, every holder of alienated land or village and very holder of the wanta portion in a talukdari village (hereinafter called "the holder") shall be bound to carry out all necessary repairs to any bandharas situated in his land or village or wanta, as the case may be, and to maintain them in a fit state of repairs to the satisfaction of the Colletcor.

(2) The expenses for any repairs to a bandhara made under the provisions of sub-section (1) shall be borne by the holder and the Central Government as follows :—

(i) In the case of a bandhara which irrigates only land situated in a village or villages of which the revenue is shared between the holder and the Central Government, the apportinment of expenses for repairs between the holder and the Central Government shall be in the same proportion in which the revenue is shared by them.

(ii) In the case of a bandhara which irrigates land situated in any village or villages of which the revenue is shared between the holder and the Central Government and also laid situated in any unalienated village or villages or which irrigates land situated in the wanta portion of a talukdari village and also other land in the said village the cost of repairs shall first be calculated in the prescribed manner having regard to the total area of land irrigated by the bandhara. The proportionate share of cost in respect of a village or villages of which the revenue is shared between the holder and the Central Government shall then be worked out on the basis of the proportion which the area of land situated in such village or villages bears to the total area of land irrigated by the bandhara. The proportionate expenses in respect of land in such village or villages so arrived at shall be borne by the holder and the Central Government as provided in clause (i) above.

(3) If any dispute arises as to the share or amount of expenses to be borne by the holder under this section or under section 25B, the matter shall be referred to the Collector whose decision shall be final.

25B. Execution of repairs to bandhara if holder fails to carry out the same.—If the holder fails to fulfil the obligation imposed upon him by section 25A, the Collector may require him by notice to execute the necessary repairs within a period to be prescribed in such notice, of not less than fifteen days, and, in the event of failure may execute the same on his behalf. The holder shall be liable to pay the expenses incurred in the execution of repairs to such extent as the Collector having regard to the provisions of sub-section (2) of section 25A may determine. In the event of any default made by the holder in payment of any sum due from him, on account of such expenses, it shall be recovered from him as an arrear of land revenue.

Settlement of Disputes concerning water-courses

26. Settlement of disputes as to mutual rights and liabilities of persons interested in water-courses.—Whenever a dispute arises between two or more persons in regard to their mutual rights or liabilities in respect of use, construction or maintenance of a water-course, or among joint owners of a water-course, as to their respective shares of the expense of constructing or maintaining such water-course, or as to the amounts severally contributed by them towards such expense, or as to failure on the part of any owner to contribute his share.

any person interested in the matter of such dispute may apply, in writing, to any Canal-officer duly

57
33

empowered to receive such applications stating the matter in dispute.

Such officer shall thereupon given notice to the other persons interested that on a day to be named in such notice he will proceed to inquire into the said matter,

and if all the persons interested consent, in writing to his being arbitrator, he may pass his order thereon ;

failing such consent, he shall transfer the matter to the Collector who shall inquire into and pass his order thereon.

Any order passed by the Collector under this section shall remain in force until set aside by a decree of a Civil Court.

PART IV

Of the Supply of Water

Applications for Supply.

27. Water to be supplied on written application.—Every person desiring to have a supply of water from a canal shall submit a written application to that effect to a Canal-officer duly empowered to receive such applications in such form as shall from time to time be prescribed by the Administrator in this behalf.

And water may be supplied for purposes other than those of irrigation.—On submission of a written application to him, the Canal-officer may give permisssion for water to be taken under such special conditions and restrictions, as to the limitation, control and measurement of the supply as he shall be empowered by the Administrator to impose in relation to the use of water for any particular purpose.

Provisions as to Supply.

28. Power to stop water-supply.—The supply of water to any water-course to or any person who is entitled to such supply shall not be stopped except—

(a) whenever and so long as it is necessary to stop such supply for the purpose of executing any work ordered by competent authority ;

(b) whenever and so long as any water course by which such supply is received is not maintained in such repair as to prevent the wasteful escape of water therefrom ;

(c) whenever and so long as it is necessary to do so in order to supply in rotation the legitimate demands of other persons entitled to water ;

(d) whenever and so long as it may be necessary to do so in order to prevent the wastage or misuse of water ;

(e) within periods fixed from time to time by a Canal-officer duly empowered in this behalf, of which due notice shall be given ;

(f) whenever and so long as it is necessary to stop such supply pending a change in the source thereof by a Canal-officer under section 91 ;

(g) in accordance with the condition, if any, providing for stoppage of water supply, subject to which permission for water to be taken may have been given.

29. Duration of supply.—When Canal-water is supplied for the irrigation of one or more crops only, the permission to use such water shall be held to continue only until such crop or crops shall come to maturity, and to apply only to such crop or crops.

30. Agreements for supply of water transferable with property in respect of which supply given.—Every agreement for the supply of canal-water to any land, building or other immovable property shall be transferable therewith, and shall be presumed to have been so transferred whenever a transfer of such land building or other immovable property takes place.

Right to use of water not transferable in other case without permission of Canal-officer.—No person entitled to the use of any work or land appertaining to any canal, and, except in the case of any such agreement as aforesaid, no person entitled to use the water of any canal, shall sell or sub-let or otherwise transfer his right to such use without the permission of a Canal-officer duly empowered to grant such permission.

PART V

Of the award of compensation.

Compensation when claimable.

31. Compensation in cases of ascertainable substantial damage.—Compensation may be awarded in respect of any substantial damage caused by the exercise of any of the powers conferred by this Act, which is capable of being ascertained and estimated at the time of awarding such compensation :

Exceptions.—Provided that no compensation shall be so awarded in respect of any damage arising from—

(a) deterioration of climate, or

(b) stoppage of navigation, or the means of rafting timber or of watering cattle, or

(c) stoppage or diminution of any supply of water in consequence of the exercise of the power conferred by section 5, if no use have been made of such supply within the five years next before the date of issue of the notification under section 37, or

(d) failure or stoppage of the water in canal, when such failure or stoppage is due to—

(1) any cause beyond the control of the Central Government,

(2) the execution of any repairs, alterations or additions to the canal, or

(3) any measures considered necessary by any Canal-officer duly empowered in this behalf for regulating the proper flow of water in the canal, or for maintaining the established course of irrigation ;

Remission of water-rates when allowable.—but any person who suffers loss from any stoppage or diminution of his water-supply due to any of the causes named in clause (d) of this section shall, be entitled to such remission of the water-rate payable by him as may be authorized by the Administrator.

32. Limitation of claims.—No claim for compensation under this Act shall be entertained after the expiration of twelve months from the time when the damage complained of commenced, unless the Collector is satisfied that the claimant had sufficient cause for not making the claim within such period.

33. Omitted.

Summary Decisions.

34. Compensation for damage caused by entry on land, etc.—In every case of entry upon any land or building under section 6, section 7, section 8, or section 9, the Canal-officer or person making the entry shall ascertain and record the extent of the damage, if any, caused by the entry, or in the execution of any work, to any crop, tree, building or other property.

and within one month from the date of such entry compensation shall be tendered by a Canal-officer duly empowered in this behalf to the land holder or owner of the property damaged.

If such tender is not accepted, the Canal-officer shall forthwith refer the matter to the Collector for the purpose of making inquiry as to the amount of compensation and deciding the same.

35. Compensation on account of interruption of water supply.—If the supply of water to any land irrigated from a canal be interrupted otherwise than in the manner described in clause (d) of section 31, the holder of such land may present a petition for compensation to the Collector for any loss arising from such interruption, and the Collector, after consulting the Canal-officer, shall award to the petitioner reasonable compensation for such loss.

36. Decision as to amount of compensation under either of last two sections conclusive.—The decision of the Collector under either of the last two preceding sections as to the amount of compensation to be awarded, or, if any rule framed under section 70 such decision shall be declared to be appealabl then the decision of the authority to whom the appeal lies, shall be conclusive.

Formal Adjudications.

37. Notice as to claims for compensation in certain cases.—As soon as practicable after the issue of a notification under section 5, the Collector shall cause public notice to be given at convenient places, stating that the Central Government intend to apply or use the water as aforesaid, and that claims for compensation may be made before him.

A copy of sections 31 and 32 shall be annexed to every such notice.

38. Claims to be preferred to Collectors.—All claims for compensation under this Act, other than claims of the nature provided for in sections 34 and 35, must be made before the Collector of the district in which such claim arises.

39. Collector to be guided by the provisions of the Land Acquisition Act.—The Collector shall inquire into every such claim and determine the amount of compensation, if any, which should, in his opinion be given to the claimant and shall make an award.

(2) Every award made under sub-section (1) shall be in the form prescribed in section 26 of the Land Acquisition Act and the provisions of the said Act shall so far as may be, apply to the inquiry and the making of an award under sub-section (1).

40. Diminution in market value to be considered in fixing compensation.—In determining the amount of compensation under the last preceding section regard shall be had to the diminution in the market-value at the time of awarding compensation, of the property in respect of which compensation is claimed ; and, where such market-value is not ascertainable, the amount shall be reckoned at twelve times the amount of the diminution of the annual net profits of such property, caused by the exercise of the powers conferred by this Act.

41. Compensation when due.—All sums of money payable for compensation awarded under section 39 shall become due three months after the claim for such compensation was made, and simple interest at the rate of six per centum per annum shall be allowed on any such sum remaining unpaid after the said three months, except when the non-payment of such sum is caused by the neglect or refusal of the claimant to apply for or receive the same.

Abatements of land-revenue and Rent.

42. Abatement of revenue-demand on interruption of water-supply.—If compensation is awarded under section 39 on account of a stoppage or diminution of supply of water to any paying revenue to the Central Government, and the amount of the revenue payable on account of such land has been fixed with reference to the water-advantages appertaining thereto the holder of the said land shall be entitled to an

abatement of the amount of revenue payable to such extent as shall be determined by the Collector.

43. Abatement of inferior holder's rent on interruption of water-supply.—Every inferior holder of any land in respect of which such compensation has been paid shall, if he receives no part of the said compensation, be entitled to an abatement of the rent previously payable by him to the superior holder thereof in proportion to the reduced value of the holding;

Enhancement of inferior holder's rent on restoration of water-supply.—But, if a water supply which increases the value of the holding is afterwards restored to the said land otherwise then at the cost of the inferior holder, the superior holder shall be entitled to enhance the rent in proportion to such increased value:

Provided that the enhanced rent shall not in any case exceed the rent payable by the inferior holder before the abatement, unless the superior holder shall, independently of the provisions of this section, be entitled so to enhance the previous rent.

PART VI.

Water Rates, Betterment Charges and Irrigation Cess.

Supply Rates.

44. Determination of rates for supply of canal-water.—Such rates shall be leviable for canal-water supplied for purposes of irrigation or for any other purpose, as shall from time to time be determined by the Administrator.

Provision for cases in which existing water-supply is improved.—If, owning to the construction of a new canal or to the improvement or extension of an existing canal, the amount or duration of any water-supply, in respect of which either no revenue or a fixed amount of revenue has hitherto been paid to the Central Government, is increased, rates shall be leviable under this section in respect of the increased water-supply only.

The said rates shall be payable by the person on whose application the supply was granted, or by any person who uses the water so supplied.

Occasional Rates.

45. Liability when person using water unauthorizedly cannot be identified.—If water supplied through a water course be used in an unauthorized manner, and if the person by whose act or neglect such use has occured cannot be identified the person or all the persons on whose land such water has flowed, if such land has derived benefit therefrom,

or, if no land has derived benefit therefrom, the person, or all the persons chargeable in respect of the water supplied through such water-course,

shall be liable, or jointly liable, as the case may be, for the charges which shall be made for such use under the rules prescribed by the Administrator under section 70.

46. Liability when water runs to waste.—If water supplied through a water-course be suffered to run to waste, and if, after inquiry, the person through whose act or neglect such water was suffered to run to waste cannot be discovered,

the person or all the persons chargeable in respect of the water-supplied through such water-course shall be liable, or jointly liable as the case may be, for the charges which shall be made in respect of the water so wasted, under the rule prescribed by the Administrator under section 70.

All questions arising under this and he last preceding section shall, subject to the provisions of section 67, be decided by a Canal-officer duly empowered in his behalf.

47. Charges recoverable in addition to penalties.—All charges for the unauthorized use or for waste of water may be recovered, as water-rates, in addition to any penalties incurred on account of such use or waste.

Percolation and leakage-rates.

48. Land deriving benefit from percolation liable to water rate.—If it shall appear to a Canal-officer duly empowered to enforce the provisions of this section, that any cultivated land within one hundred eighty five meters of any canal receives, by percolation or leakage from such canal, an advantage equivalent to that which would be given by a direct supply of canal water for irrigation,

or, that any cultivated land, wherever situate, derives by a surface-flow, or by means of a well-sunk within one hundred eighty five meters of any canal after the admission of water into such canal, a supply of water which has percolated or leaked from such canal,

he may charge on such land a water-rate not exceeding that which would ordinarily have been charged for a similar direct supply to land similarly cultivated.

For the purposes of this Act, land charged under this section shall be deemed to be land irrigated from a canal.

48-A. Levy of water rate for use of percolation water for non-irrigation purposes.—(1) If it shall appear to a Canal-officer duly empowered to enfore the provisions of this section, that any natural stream, artificial drain or well sunk within one hundred eighty five meters of any canal is deriving percolation water from such canal, and the water from such stream, drain or well is used for purposes other than those of irrigation, he may charge for use of such water a water rate not exceeding that as would ordinarily have been charged if the supply had been made from the canal for such purposes.

(2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to water from such stream, drain or well used exclusively for domestic purposes by the residents of any village.

Betterment Charges.

49. Scheme of irrigable lands under command and betterment charges on construction or improvement, etc. of a canal.—When the construction of a new canal or the improvement or extension of an existing canal is undertaken, the Administrator shall direct an officer empowered in this behalf to prepare a scheme showing the lands under the irrigable command of the canal and the betterment charges leviable on such lands.

50. Publication of scheme and notice to owners and persons interested.—(1) The scheme so prepared shall be published in the official Gazette and in such other manner as may be prescribed by rules.

(2) The Officer empowered under section 49 shall also give notice to the persons known or believed to be the owners of or interested in the lands under irrigable command of the canal requiring them to appear before him either personally or by agent at a time and the place therein mentioned (such time not being earlier than one month from the date of the notice) to state their objections, if any,

(a) to the inclusion of the lands in the scheme as the lands under irrigable command of the canal and

(b) to the imposition and recovery of the betterment charges on such lands.

51. Inquiry and award.—On the date fixed under section 50 or on such other date to which the inquiry may be adjourned the officer concerned shall, after holding a formal inquiry in the manner provided by the Land Revenue Regulation and after hearing the objections, if any, stated by the persons as required by notice under section 50, make an award. The award shall specify—

(a) the lands under irrigable command of the canal,

(b) the increase in value of such lands by the completion of the construction of a new canal or the improvement or extension of an existing canal,

(c) the amount of the betterment charges leviable on each of the said lands,

(d) the date from which such betterment charges shall be leviable :

Provided that no betterment charges shall be leviable in respect of any land which is unarable (kharaba).

52. Increase in value and betterment charges.—The increase in value on account of the completion of a new canal or the improvement or extension of an existing canal shall be the amount by which the value of the land on the completion date is likely to exceed the value of the land on the construction date and the betterment charges shall be one-half of such increase in value.

Explanation.—For the purposes of this section the Administrator shall, by notification in the Official Gazette, specify—

(a) the date of the commencement of construction of any work in connection with the construction or improvement or extension of a canal, as the construction date ;

(b) the date of completion of the construction, improvement or extension of a canal as the completion date.

53. Appeals to the Collector.—(1) Any person aggrieved by the award may, within sixty days from the date of the award, appeal to the Collector.

(2) The provisions of Chapter XIII of the Land Revenue Regulation shall apply to such appeals, as if the officer empowered under section 49 was a Rexenue Officer and the Collector was his immediate superior.

54. Revision by Administrator.—The Administrator may call for and examine the record of any inquiry under section 51 of the proceedings in appeal under section 53 for the purpose of satisfying himself of legality or regularity of such inquiry or proceedings and may modify or reverse the award of the decision of the Collector.

55. Finality of orders of Administrator, Collector's decision and award.—Any order passed by the Administrator in revision under section 54 and subject to such order, the decision of the Collector on appeal under section 53, and subject to the order of the Administrator and the decision of the Collector on appeal, the award made under section 51 shall be final.

56. Bettterment charges to be first charged on land next to land revenue.—From the date specified in the award as the date from which the betterment charges shall be leviable, or from such date as may be otherwise specified by the Collector in appeal under section 53 or by the Administrator in revision under section 54 as the date from which such charges shall be leviable, the betterment charges recoverable in respect of any land shall, subject to the prior payment of the land revenue, if any, due to the Central Government thereon, be a first charge on the land in respect of which such betterment charges are leviable.

56A. Payment of betterment charges.—The betterment charges shall be payable on the date fixed under the rules made by the Administrator under section 70 :

Provided that the owner of the land on which such charges are imposed may execute an agreement in favour of the Central Government, agreeing to pay the amount of such charges by annual instalment together with interest at such rate and within such period as may be prescribed by rules.

56B. Relinquishment or exchange of land in lieu of the payment of betterment charges.—Notwithstanding anything contained in section 56A, the Administrator may allow the owner of the land on which the betterment charges may be payable to

relinquish the whole or any part of the land or to deliver it in exchange in favour of the Central Government on such conditions as may be prescribed by rules :

Provided that no such relinquishment or exchange shall be permitted unless the land is free from encumbrances.

56C. Omitted.

56D. Omitted.

56E. Omitted.

56F. Omitted.

Recovery of Water-rates and other dues in arrears.

57. Payment and recovery of water-rate and other dues.—(1) Every water-rate leviable or charged under this Act shall be payable in such instalements and on such dates and to such officers as shall from time to time be determined under the orders of the Administrator.

(2) Any such rate of the instalment thereof which is not paid on the date when it becomes due shall be deemed an arrear of land revenue due on account of the land for the use of which canal water was supplied or which was benefited by percolation or leakage from any canal and shall be recoverable as such arrear by any of the methods specified in section 167 of the Land Revenue Regulation, including the forfeiture of the said land.

The amount of the betterment charges or any of its instalments together with interest thereon, if not paid on the date specified in section 56A shall be deemed to be arrear of land revenue due on account of the land in respect of which it is payable and shall also be recoverable as such arrear by any of the methods specified in section 167 of the Land Revenue Regulation, including the forfeiture of the said land.

(3) Any rent payable to the owner of a water-course by a person authorized to use such water-course may be paid in such instalments and on such dates as the Canal-officer duly empowered to act under section 23 shall direct and no more of such rent shall at any time be payable to the owner thereof than is actually recovered from the person liable to pay.

(4) (a) Any other sum due to the Central Government or to a Canal-officer under the provisions of this Act whether on behalf of the Central Government or any other person under Part III of this Act which is not paid when demanded shall; and

(b) any rent or instalment thereof payable to the owner of a water-course, which is not paid when it becomes due may, on behalf of the owner,

be recoverable as arrears of land revenue in accordance with the provisions of the Land Revenue Regulation

PART VII.

Of Obtaining Labour for Canals on Emergencies.

58. Procedure for obtaining labour for works or repairs urgently required.—Whenever it appears to a Canal-officer duly empowered to act under this section, that unless some work or repair is immediately executed such serious damage will happen to any canal as to cause sudden and extensive public injury,

or, that unless some clearance of a canal or other work which is necessary in order to maintain the established course of irrigation is immediately executed serious public loss will occur,

and that the labourers necessary for the proper execution of such repair clearance or work cannot be obtained in the ordinary manner within the time that can be allowed for the execution of the same so as to prevent such injury or loss,

the said officer may, by order under his hand, direct that the provisions of this section shall be put into operation for the execution of such repair, clearance or work; and thereupon every able-bodied person who resides or holds land in the vicinity of the locality where such repair, clearance or work has to be executed, and whose name appears in the list hereinafter mentioned, shall, if required to do so by such officer or by any person authorized by him in this behalf, be bound to assist in the execution of such repair, clearance or work by labouring thereat as such officer or any person authorized by him in this behalf may direct.

All persons so labouring shall be entitled to payment at rates which shall not be less than the highest rates for the time being paid in the neighbourhood for similar labour.

59. List of labourers.—Subject to such rules as may from time to time be prescribed under section 70 in this behalf, the Collector shall prepare a list of the persons liable to be required to assist as aforesaid, and may from time to time add to or alter such list or any part thereof.

60. Reports to be made by Canal-officer.—All orders made under section 58 shall be immediately reported to Collector and likewise to the Chief Engineer for Irrigation, for the information of the Administrator.

PART VIII.

Of Penalties

61. For damaging canal, etc.—Whoever voluntarily and without proper authority—

(1) damages, alters, enlarges or obstructs any canal;

(2) interferes with, or increases or diminishes the supply of water in, or the flow of water from, through, over or under any canal, or by and means raises or lowers the level of the water in any canal;

(3) corrupts or fouls the water of any canal so as to render it less fit for the purposes for which it is ordinarily used ;

(4) destroys, defaces or moves any land or level mark or water-guage fixed by the authority of a public servant ;

(5) destroys, tampers with, or removes, any apparatus, or part of any apparatus, for controlling, regulating or measuring the flow of water in any canal ;

(6) passes, or causes animals or vehicles to pass, in or across any of the works, banks or channels of a canal contrary to rules made under section 70, after he has been desired to desist therefrom ;

(7) causes or knowingly and wilfully permits cattle to graze upon any canal or flood-embankment or tethers or causes or knowingly and wilfully permits cattle to be tethered, upon any such canal or embankment, or roots up any grass or other vegetation growing on any such canal or embankment, or removes, cuts or in any way injures or causes to be removed, cut or otherwise injured any tree, bush, grass or hedge intended for the protection of such canal or embankment ;

(8) neglects, without reasonable cause, to assist or to continue to assist in the execution of any repair, clearance or work, when lawfully bound so to do under section 58 ;

(9) violates any rule made under section 70 for breach whereof the Administrator shall, in such rules, direct that a penalty may be incurred ;

and whoever—

(10) being responsible for the maintenance of a water-course, or using a water-course, neglects to take proper precautions for the prevention of waste of the water thereof, or interferes with the authorized distribution of the water therefrom or uses such water in an unauthorized manner or prevents or interferes with the lawful use of such water-course by any person authorized to use the same or declared to be a joint-owner thereof under section 23 ;

shall, when such act shall not amount to the offence of committing mischief within the meaning of the Indian Penal Code (XLV of 1860) on conviction before a Magistrate, be punished for each such offence with fine which may extend to fifty rupees, or with imprisonment for a term which may extend to one month, or with both.

62. For endangering stability of canal, etc.—Whoever without proper authority—

(1) pierces or cuts through, or attempts to pierce or cut through, or otherwise to damage, destroy or endanger the stability of any canal ;

(2) opens, shuts or obstructs, or attempts to open, shut or obstruct any sluice in any canal ;

(3) makes any dam or obstruction for the purpose of diverting or opposing the current of a river or canal on the bank whereof there is a flood embankment, or refuses or neglects to remove any such dam or obstruction when lawfully required so to do ;

shall, when such act shall not amount to the offence of committing mischief within the meaning of the Indian Penal Code, on conviction before a Magistrate of the first or second class, be punished for each such offence with fine which may extend to two hundred rupees, or with imprisonment for a term which may extend to six months, or with both.

63. Obstruction to be removed and damage repaired.—Whenever any person is convicted under either of the last two preceding sections, the convicting Magistrate may order that he shall remove the obstruction or repair the damage in respect of which the conviction is held, within a period to be fixed in such order. If such person neglects or refuses to obey such order within the period so fixed, any Canal-officer duly empowered in this behalf may remove such obstruction or repair such damage, and the cost of such removal or repair, as certified by the said officer, shall be leviable from such person by the Collector as an arrears of land revenue.

64. Persons employed on canal may take offenders into custody.—Any person in charge of, or employed upon, any canal may remove from the lands or buildings belonging thereto, or may take into custody without a warrant, and take forth with before a Magistrate or to the nearest Police-station, to be dealt with according to law, any person who within his view—

(1) wilfully damages, obstructs or fouls any canal, or

(2) without proper authority interferes with the supply or flow of water, in or from any canal, or in any river, or stream so as to endanger, damage, make dangerous or render less useful any canal.

65. Saving of prosecution under other laws.—Nothing herein contained shall prevent any person from being prosecuted under any other law for any act or omission made punishable by this Act :

Provided that no person shall be punished twice in respect of one and the same act or omission.

66. Payment of fine as award to informant.—Whenever any person is fined for an offence under this Act, the Court which imposes such fine, or which confirms in appeal or revision a sentence of such fine, or a sentence of which such fine forms part, may direct that the whole or any part of such fine may be paid by way of award to any person who gave information leading to the detection of such offence or to the conviction of the offender.

If the fine be awarded by a Court whose decision is subject to appeal or revision, the amount awarded

shall not be paid until the period prescribed for presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal be presented till after the decision of the appeal.

PART IX.

Miscellaneous

67. Appeals against orders under Act.—Every order passed by a Canal-officer under sections 13, 18, 20A, 20F, 25, 30, 45, 46, 48 and 48A shall be appealable to the Collector :

Provided that the appeal be presented within thirty days of the date on which the order appealed against was communicated to the appellant.

All orders and proceedings of a Collector under this Act shall be subject to the supervision and control of the Administrator.

68. Power to summon and examine witnesses.—Any Officer empowered under this Act to conduct any inquiry may exercise all such powers connected with the summoning and examining of witnesses and the production of documents as are conferred on Civil Courts by the Code of Civil Procedure ; and every such inquiry shall be deemed to be a judicial proceeding.

69. Service of notices.—Service of any notice under this Act shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the officer therein mentioned. Whenever it may be practicable, the service of the notice shall be made on the person therein named. When such person cannot be found, the service may be made on any adult male member of his family residing with him ; and if no such adult male member can be found the notice may be served by fixing the copy on the outer door of the house in which the person therein named ordinarily dwells or carries on business and, if such person has no ordinary place of residence within the district service of any notice may be made by sending copy of such notice by post in a registered cover addressed to such person at his usual place of residence.

70. Power to make, alter and cancel rules.—(1) The Administrator may from time to time make rules not inconsistant with this Act to regulate the following matters :—

(a) the proceedings of any officer who under any provision of this Act, is required or empowered to take action in any matter ;

(b) the cases in which, the officers to whom, and the conditions subject to which, orders and decisions given under any provision of this Act, and not expressly provided for as regards appeal, shall be appealable ;

(c) the person by whom, the time, place or manner at or in which anything, for the doing of which provision is made in this Act, shall be done ;

(ca) the manner of constructing a water-course under section 15A ;

(cb) the other particulars to be specified in, and the manner of publishing, a draft scheme under section 20A ;

(cc) the manner of publishing a final scheme and the manner and form of notice to be issued to each holder of land under section 20A ;

(cd) the form of a notice under section 20C and the manner of giving such notice ;

(ce) the form of a certificate under section 20E ;

(cf) the period for lump sum payment under section 20F ;

(d) the amount of any charge to be made under this Act ;

(da) the manner in which the cost or repairs shall be calculated under sub-section (2) of section 25A ;

(dl) the the other manner in which a scheme shall be published under section 50 ;

(d2) the date for payment of, the rate of interest on and the period within which the instalments of betterment charges shall be paid under section 56A ;

(d3) the suspension of remission of betterment charges, the instalments thereof and the interest thereon ;

(d4) the conditions subject to which the relinquishment or exchange of lands shall be permitted under section 56B ;

(d5) the division into zones of lands under the irrigable command of a canal for the purpose of the betterment charges leviable on such lands ;

(e) and generally to carry out the provisions of this Act.

The Administrator, may, from time to time, alter or cancel any rules so made.

Publication of rules—Such rules, alterations, and cancellation shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon have the force of law.

71. Saving of municipal water-works.—Nothing in this Act shall be deemed to apply to any canal, channel reservoir, lake or other collection of water vesting in any municipality.

PART X

Of Second-Class Irrigation Works

72. Application of this Part.—This Part shall apply to Second-class Irrigation Works only.

73. Notification of Second-class Irrigation works.—(1) The Administrator may publish a notification in the Official Gazette—

(a) declaring that it is proposed to constitute any canal, channel, stream, river, well, tube-well, artesian well, pipe, or reservoir, natural or artificial or bandhara or any part thereof, whether constructed, maintained or controlled by the Central Government or not, which is actually used or required for the purposes of irrigation, a Second-class Irrigation Works;

(b) fixing a period of not less than four months from the date of publication of such notification in the Official Gazette for the submission of objection to such proposal :

Provided that no artificial reservoir or water-course supplied from such reservoir which is actually used for the purposes of irrigation by a single irrigator shall be included in such notification except either with the consent of such irrigator or, if in the opinion of the Administrator such inclusion is necessary in the public interests, then without such consent but subject to the payment, after the issue of the declaration mentioned in sub-section (3), to such irrigator of such compensation for his rights as may be settled in accordance with the provisions of section 79.

(2) After the publication of such notification in the Official Gazette it shall also be published by the Collector as soon as practicable in the language of the district in which the work is situated and in every town and village which in the opinion of the Collector is likely to be affected by such notification.

(3) After considering such objections as may have been received within the period fixed as aforesaid the Administrator may, by notification in the Official Gazette, declare such canal, channel, stream, river, well, tubewell, artesian well, pipe, reservoir or bandhara, or any part thereof to be a Second-class Irrigation Work.

74. Proclamation by the Collector.—When a notification has been issued under sub-section (3) of section 73 the Collector shall publish in the language of the district at the Mamlatdars Office of the taluka in which the work is situated, and in every town and village which in his opinion is likely to be affected by such declaration, a proclamation :

(a) specifying, as nearly as possible, the source of supply, situation and limits of the Second-class Irrigation Works notified under sub-section (3) of section 73;

(b) stating that this part applies to the work so notified from the date of the notificaion t published under sub-secion (3) of section 73; and

(c) fixing a period of not less than three months from the date of such proclamation, and requiring every person claiming any right in the work so notified either to present to the Collector within such period a written notice specifying, or to appear before him and state, the nature of such right.

75. Application of certain sections of the main Act.—(1) A Second-class Irrigation Work shall be deemed to be a canal within the meaning of sub-section (1) of section 3 and to such work the following sections and Parts only shall, so far as may be, apply, namely :—

Sections 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25A, 25B, 28, 30, Part V, sections 49 to 56B (both inslusive), section 57, Part VIII, except of sub-section (8) of section 61, and Part IX.

(2) The aforesaid sections and Parts shall, for the purposes of this Part, be subject to the following modifications, namely :—

(i) In section 16 before the word "any" prefix the words—

"Subject to any rights recorded in the Record-of-rights prepared or revised as hereinafter provided".

(ii) In section 17 before the word "any" prefix the words "Subject as aforesaid".

(iii) In section 21, for clause (d), the following shall be substituted, namely :—

"(d) To have a supply or water on such terms as may be prescribed in the Record of rights prepared or revised as hereinafter provided".

(iv) To section 22 the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that no such private arrangement shall affect any rights to water recorded in the Record of rights prepared or revised as hereinafter provided".

(v) In section 30 for the words "every agreement for" the words "all rights to" shall be substituted, and in the same section after the word "property" the words "which have been recorded in the Record of rights prepared or revised as hereinafter provided" shall be inserted.

Paragraph 2 of the same section shall be omitted.

(vi) In Part V, section 31, proviso to clause (c) and the last paragraph shall be omitted.

(vii) In Part V, sction 34, the words and figures "section 6, section 7", shall be omitted.

(viii) In Part IX, section 67, after the figures "48" the words "and Part X" shall be inserted.

76. Framing of Record of rights.—(1) As soon as possible after the expiry of the period fixed by the Collector under section 74, clause (c), a Canal-officer duly empowered in this behalf, who shall be a Revenue officer not below the rank of a Mamlatdar, shall inquire into and settle claims to any right the Second-class Irrigation Work, and shall record the extent of such right and draw up in the form from time to time prescribed by the Administrator an Irrigation Record of rights so far as the same may be ascertainable from the records of Government and the evidence of any person likely to be acquainted with the same and any other documentary or oral evidence with the parties concerned or their witnesses may produce.

(2) Such Record of right shall contain the following matters :—

(a) the nature of the Second-class Irrigation Work and any work subsidiary thereto

(b) the land irrigable therefrom,

(c) the custom or rule of irrigation,

IndiaCode

(d) the rights to water and the conditions on which such rights are enjoyed, and,

(e) such other matters as the Administrator may by rules prescribe in this behalf.

77. Powers of Canal-officer.—(1) For the purposes of the inquiries under section 76 such Canal-officer may enter, by himself or any officer authorised by him for the purpose, upon any land adjacent to any such work, and may survey, demarcate and make a map of the same.

(2) Notwithstanding anything contained in section 76 where no sufficient evidence is forthcoming as to all or any of the matters specified in that section such Canal-officer shall, so far as may be, settle and record the aforesaid matters in such manner as he may deem fit.

78. Revision of Record of rights.—The Record of rights prepared under section 76 may be revised from time to time by a Canal-officer duly empowered in that behalf, who shall be a Revenue officer not below the rank of a Mamlatdar.

79. Commutation of rights.—Where the Canal-officer who has prepared or revised any Record of rights under this Part finds that, having due regard to the maintenance or management of the Second-class Irrigation Work, any right contained in the Record of rights cannot continue to be exercised to the extent recorded, he shall (subject to such rules as the Adminisrator may from time to time prescribe in this behalf) commute such right wholly or in part, either by the payment to the holder of such right of a sum of money in lieu thereof, or by the grant of land, or in such other manner as he may think fit; and he shall revise the Record of rights accordingly.

80. Power of Administrator where works are undertaken increasing supply.—In the event of the Central Government undertaking at their own cost any work whereby the supply of water in any Second-class Irrigation Work is increased beyond the amount of such supply at the time of preparing or revising the Record of rights under this Part the Administrator may, without prejudice to any rights so recorded, direct that the right to such surplus water shall vest in the Central Government and shall be applied as the Administrator may deem fit and the Record of rights shall be revised in accordance with such direction.

81. Publication of Record of rights.—When any Record-of-rights has been prepared or revised under this Part it shall be published in the language of the district at the Mamlatdar's Office and Patelad Office in which the work is situated and in every town and village which in the opinion of the Collector is affected by such Record-of-rights.

82. Entries in the Record of rights to be relevant as evidence.—An entry in any Record of rights prepared or revised under this Part shall be relevant as evidence in any dispute as to the matters recorded, and shall be presumed to be true until the contrary is proved or a new entry is lawfully substituted therefor :

Provided that no such entry shall be so construed as to limit any of the powers conferred on the Administrator, or, as the case may be, the Central Government by this Part.

83. Notice of suit to be given to the Collector.—(1) In any suit or proceeding in which an entry made in any Record of rights prepared or revised under this Part is directly or indirectly called in question, the Court shall, before the final settlement of issues, give notice of the suit or proceeding to the Collector, and, if move to do so by the Collector, shall make the Central Government a party to the same.

(2) Suits against Government.—Save as provided in sub-section (1) no suit shall lie against the Central Government or the Administrator in respect of anything done by the Collector, Canal-officer or any other person acting under the orders of the Administrator in the exercise of any power by this Part conferred on such Collector, Canal-officer or other person or on the Administrator.

Period of Limitation.—(3) Any suit or proceeding in which an entry made in any Record of rights prepared or revised under this Part is directly or indirectly called in question shall be dismissed (although limitation has not been set up as a defence) if it has not been instituted within one year from the date of the publication under section 81 of the Record of rights containing the said entry, or if one or more appeals have been made against any order of a Canal-officer with reference to any entry in such Record of rights, then from the date of any order passed by the final appellate authority, as determined according to this Part.

84. Obligation to carry out petty repairs.—In every Second-class Irrigation Work the following shall be performed by the persons on whom the obligation to perform them is imposed by the next following section, that is to say :—

(1) The filling up of gullies, ruts and holes, especially at the back of revetments, and all petty repairs of a like nature essential for the safety of bunds, of tanks, channel-banks or other portions of the said Second-class Irrigation Work.

(2) The prevention of the growth on such work of prickly pear, young trees and other vegetation endangering the safety or concealing the condition of such work.

(3) The preservation of such bushes and grasses as have been planted for the protection of the interior water slopes of such work.

(4) The clearance of silt from sluices, supply and distributing channels.

(5) The clearance of waste weirs and waste channels.

85. Incidence of obligation.—The obligation to perform the repairs prescribed by the last preceding section shall, with reference to any land irrigated from such work, be deemed to be imposed jointly and severally, in the case of unalienated land, on occupants of the land, and, in the case of all other land, on the holders of the land, as defined in either case in the Land Revenue Regulation.

86. Power to enforce rights and obligations.—If any person on whom any obligation is imposed with reference to any Second-class Irrigation Work by any of the provisions of this Part, fails to fulfil the obligation so imposed, or if any person infringes any right recorded in the Record of rights prepared or revised as hereinbefore provided, the Canal-Officer may require him by notice to fulfil such obligation or to desist from infringing such right within a period to be prescribed in the notice of not less than fifteen days, and in the event of failure may take such steps as may be necessary for the discharge of the said obligation, or the enforcement of the said right, and the amount of any expense so incurred shall be a sum due to the Central Government and recoverable as an arrear of land revenue.

87. Duty of Serpanch to report failure to effect repairs.—It shall be the duty of the Serpanch of any village within the limits of which any Second-class Irrigation Work or portion of such work is situated to report to the Mamlatdar without unnecessary delay any failure or neglect to carry out any of the repairs specified in section 84.

88. Public servant and some other persons protected from legal proceedings.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintained against any public servant or person appointed under this Part in respect of any thing in good faith done or purporting to be done under the provisions thereof or the rules made thereunder.

89. Powers to make rules.—(1) The Administrator may from time to time by notification in the Official Gazette and after previous publication make rules as to all or any of the following matters :—

(i) the manner of framing and revising the Record of rights,

(ii) the proceedings of any Officer who under the provisions of this Part is required to take action in any matter,

(iii) and generally to carry out the provisions of this Part.

(2) Omitted.

(3) Omitted.

90. Omitted.

91. Omitted.

PART XII

Special Provisions Regulating the Construction and Maintenance of Tubewells, Artesian Wells and Borewells.

92. Definitions.—In this part, unless the context otherwise requires,—

(a) "artesian well" means a well which taps artesian or piestic water having piezo-metric level above the ground;

(b) "Borewell" means a well drilled in hard rock areas where the bore can stand on its own and where lining by pipes is not necessary and includes a dug-cum-borewell ;

(c) "Ground water" means water under the surface of the earth regardless of the geological structure in which it is stationary or moving and includes all ground water reservoirs;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made under section 101;

(e) "Regional Canal Officer" means a Canal Officer authorised by the Administrator by notification in the Official Gazette to perform the functions of the Regional Canal Officer under this Part in such area as may be specified in the notification;

(f) "Tubewell" means a deep bore drilled into the ground for the purpose of drawing water through one or series of permeable layers of water bearing strata.

93. Omitted.

94. Regulation of construction and maintenance of tubewells, etc.—Notwithstanding anything contained in the Land Revenue Regulation or in any other law for the time being in force, no holder of any land assessed or held for the purpose of agriculture within the meaning of said Regulation (hereinafter in this part referred to as agriculture land) shall after the commencement of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli construct, or cause or permit to be constructed, any tubewell, artesian well or borewell, exceeding forty-five metres in depth for extracting ground water except under and in accordance with the terms and conditions (including conditions relating to the maintenance of such well) of a licence issued under section 95 and the rules made under section 101.

95. Grant of license.—(1) Where a holder of any agricultural land desires to construct therein any tubewell, artesian well or borewell, exceeding forty-five metres in depth for extracting ground water, he shall make an application to the Regional Canal Officer having jurisdiction for the grant of a licence.

(2) Every application made under sub-section (1) shall be in such form, shall contain such particulars and shall be accompanied with such fees as may be prescribed.

(3) On the receipt of an application under sub-section (1) the Regional Canal Officer, may, after making such inquiry as he thinks fit and having regard to the availability and quality of ground water and the density of wells in the area in which the tubewell, artesian well or borewell, as the case may be, is proposed to be constructed and such other relevant factors as the circumstances of the case may require, by order, grant or refuse to grant the licence applied for :

Provided that before refusing to grant the licence, the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard in the matter :

Provided further that where the Regional Canal Officer to whom an application has been

made under sub-section (1) fails to inform the applicant of his decision on the application within a period of three months from the date of receipt of the application, the licence shall be deemed to have been granted to the applicant.

(4) Every licence granted or deemed to have been granted under sub-section (3) shall be in such form as may be prescribed and shall be subject to such terms and conditions as may be specified therein, including conditions relating to the maintenance of the well.

96. Regulation of existing tubewells, etc.—Where any tubewell, artesian well or borewell is in existence in an agricultural land at the commencement of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and the depth of such well is in excess of forty-five metres, then the holder of the agricultural land shall, within three months from such commencement, furnish information in respect of the well to the Regional Canal Officer having jurisdiction, in such form as may be prescribed and on receipt of the information, the Regional Canal Officer shall if he is satisfied that the well was in existence at such commencement grant to the holder of land a certificate in the prescribed form to the effect that the said well was in existence at such commencement.

97. Cancellation of licence.—If the Regional Canal Officer is satisfied either on a reference made to him in this behalf or otherwise that—

(a) any licence granted under section 95 has been obtained by fraud or misrepresentation as to an essential fact, or

(b) the holder of a licence has, without reasonable cause, failed to comply with the terms and conditions subject to which the licence has been granted, or has contravened any of the provisions of this Part or the rules made under section 101, then, without prejudice to any other penalty to which the holder of the licence may be liable under this Part, the Regional Canal Officer may after giving the holder of the licence an opportunity of showing cause, by order, cancel the licence.

98. Appeals.—(1) Any person aggrieved by an order of the Regional Canal Officer made under section 95 or section 97 or section 99 may prefer an appeal to the prescribed authority against such order within the prescribed period and the decision of the prescribed authority on such appeal shall be final.

(2) Every appeal preferred under sub-section (1) shall bear court-fee stamps of such value as may be prescribed.

99. Regulation of use of water.—(1) No holder of agricultural land in which there is a tubewell, artesian well or borewell, exceeding forty-five metres in depth shall allow any water from such well to be used for a purpose other than for the purpose of agriculture or of drinking or to be wasted either through leaky casing, pipe fittings, valves or pumps either above or below the surface or on account of any other reason whatsoever :

Provided that such holder may allow water from such well to be used for any purpose other than for the purpose of agriculture or of drinking if the Regional Canal Officer, subject to any general or special order made by the Administrator, by order permits the use of water for such purpose.

(2) If in the opinion of the Regional Canal Officer water from any tubewell, artesian well or borewell exceeding forty-five metres in depth, is used for a purpose other than for the purpose of agriculture or of drinking, without the order of the Regional Canal Officer, or is wasted, he may, after giving the holder of the agricultural land in which such well is situated, a notice of not less than thirty days, by order required him to close or seal off the well at his expense and in such manner as the Regional Canal Officer may specify in such order and the holder of agricultural land shall comply with such order.

(3) Where any holder of agricultural land fails to comply with any order made under sub-section (2), the Regional Canal Officer may after giving the holder of the agricultural land due notice in that behalf, enter upon the land and close or seal off the well and the cost incurred therefor shall be recoverable from the holder as an arrear of land revenue.

100. Penalty.—If any person contravenes the provisions of section 94 or section 96, or any rules made under section 101 in respect of the construction or maintenance of tubewells or any of the terms or conditions specified in a licence granted under section 95 he shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

101. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette and after previous publication, make rules to carry out the provisions of this Part.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the form of application for the grant of a licence under section 95, the particulars to be contained in such application and the fees to be accompanied with such application ;

(b) the form of licence to be granted under section 95;

(c) the form in which information may be furnished by the holder of an agricultural land

under section 96 and the form of certificate to be granted under that section ;

(d) the authority to which an appeal may be preferred under section 98, the period within which such appeal shall be preferred and the value of court-fee stamps which such appeal shall bear;

(e) the manner of construction of tubewell artesian wells or bore-wells exceeding forty five metres in depth ;

(f) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

[U-11015|6|83-UTL (153)]
R. V. PILLAI, Jt. Secy.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983